औपनिवेशिक कालीन भारतीय व्यवस्थाओं को स्वदेशी बनाने के लिए

आजादी बचाओ आंदोलन की

सच्चे स्वराज्य की रूपरेखा

"दृढ़निश्चय और अपने कार्य के प्रति अदम्य भावना से भरा हुआ कोई साधारण व्यक्ति भी इतिहास बदल सकता है"।

महात्मा गाँधी

सच्चे स्वराज की रूपरेखा

आजादी बचाओ आंदोलन

प्रकाशकीय

आज हमारे देश भारत की स्थिति एक ऐसे असहाय यात्री जैसी हो गयी है जो घने जंगल में अपना रास्ता भूल गया है, और उसे जंगली जानवरों के बीच से वापस सुरक्षित लौटने की कोई आशा नहीं है। आजादी के बाद 50 सालों तक भारत एक ऐसे गलत रास्ते पर चलता रहा है जहाँ से अब सच्चे स्वराज्य का रास्ता किसी को सूझ नहीं रहा है। गरीबी, भुखमरी, बेराजगारी, भ्रष्टाचार, सामाजिक तनाव एवं झगड़े, आतंकवाद, राजनैतिक अक्षमता, विदेशी कर्जा, देश के संसाधनों की लूट, अन्याय और शोषण के बोझ तले दबी हुई जनता; ये सभी वे समस्यायें हैं जिनका समाधान अब तक हो जाना चाहिए था। लेकिन गत 50 वर्षों की गलत नीतियों और गलत योजनाओं के कारण ये सभी समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसी परिस्थिति में आजादी बचाओ आन्दोलन के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राजीव दीक्षित ने आंदोलन के ढेर सारे वरिष्ठ साथियों के साथ सोच विचार करके और लंबी बहसों के बाद योजनाओं का एक 50 सूत्रीय ढाँचा तैयार किया है। ये सभी योजनायें बहुत ही व्यावहारिक और आसान समाधान प्रस्तुत करती हैं। भारत में सच्चा स्वराज्य लाने के लिये इन योजनाओं के लागू होने पर यहाँ के लोगों की गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, असमानता जैसी समस्यायें बहुत जल्द ही दूर हो सकती हैं और हमारे गाँव कुटीर और लघु उद्योगों से भरे–पूरे समृद्धिशाली हो सकते हैं। देश के लोगों की मायूसी उत्साह में बदल सकती है। देश के लोगों को सच्चे स्वराज्य का अनुभव हो सकता है। हमारा देश भारत दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली और समृद्ध बन सकता है।

इस पुस्तिका में मैंने अपनी समझ के अनुसार उन सभी योजनाओं को शब्द देने की कोशिश की है जो श्री राजीव जी द्वारा बनायी गयी हैं। इस पुस्तिका में कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर पूरी व्याख्या नहीं की गयी है, वहाँ सिर्फ शीर्षक देकर छोड़ दिया गया है। जितना मुझे समझ में आया मैंने उतने ही हिस्से का विस्तार करने की कोशिश की है। यदि कहीं कोई गलती हो तो उसके लिये पूरी जिम्मेदारी मेरी है। इन सभी योजनाओं में देश के पुनःनिर्माण के लिये जो भी उत्तम और उपयोगी है, उसका पूरा श्रेय राजीव दीक्षित जी को है। इस पुस्तिका में जो दिशा दिखायी गयी है, आजादी बचाओ आन्दोलन देश को उसी दिशा में ले जाना चाहता है। आजादी बचाओ आन्दोलन सिर्फ विदेशी कम्पनियों

को भारत से भगाने और स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार करने तक सीमित नहीं है। यह तो आन्दोलन की कार्ययोजना का एक छोटा–सा हिस्सा है। वास्तव में तो आजादी बचाओ आन्दोलन भारत की राजनैतिक –आर्थिक व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन करना चाहता है। इसके साथ भारतीय न्याय व्यवस्था, शिक्षा, कृषि, प्रशासनिक व्यवस्था आदि में भी आमूल–चूल बदलाव करना चाहता है। यह कार्य लोगों के बीच में बहुत बड़े पैमाने पर जनशिक्षण अभियान चलाकर ही किया जा सकता है। सच्चे स्वराज्य का लक्ष्य पाने के लिये प्रत्येक देशभक्त व्यक्ति को प्रयास करना होगा। इसमें कुछ खोने के लिये, कुरबानी के लिये भी तैयार रहना होगा। क्योंकि किसी भी बड़े लक्ष्य को बिना बलिदान के हासिल नहीं किया जा सकता है। हममें से कोई भी यह दावा नहीं कर सकता है कि सच्चे स्वराज्य की यह कार्ययोजना सम्पूर्ण और त्रुटिरहित है। यह अधूरी हो सकती है और इसमें कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं। यह कार्ययोजना आपके विचारों एवं सुझावों के लिये प्रस्तुत है। आप इसे पूर्ण करने में और बेहतर बनाने में मदद करें। आप सभी के सुझावों और टिप्पणियों का हमेशा स्वागत है।

वेलजी देसाई
(आजादी बचाओ आन्दोलन)

सच्चे स्वराज्य पर महात्मा गाँधी के विचार

* 'स्वराज' एक पवित्र शब्द है, एक वैदिक शब्द है – जिसका अर्थ है स्वयं के ऊपर संयम के साथ शासन। स्वराज्य शब्द स्वतन्त्रता से अलग है। स्वतन्त्रता का अर्थ है सभी तरह के बंधनों से मुक्त होना जबकि स्वराज्य में अपने ऊपर संयम का राज्य होता है।
* स्वराज्य का अर्थ है – लगातार सरकार के नियंत्रण से आजाद होना, चाहे वह सरकार विदेशी हो या देशी।
* ग्राम स्वराज्य का मेरा विचार है कि – गाँव पूर्ण गणतन्त्र हों, अपनी अधिकांश महत्वपूर्ण जरूरतों के लिये स्वयं पर निर्भर हों या फिर अपने पड़ोसी गाँवों पर निर्भर हों।
* कुछ लोगों द्वारा अधिकार प्राप्त करने से सच्चा स्वराज्य नही आयेगा। बल्कि सच्चा स्वराज्य तभी होगा जब सभी को अधिकारिक सत्ता के दुरुपयोग का विरोध करने की शक्ति प्राप्त हो। दूसरे शब्दों में सच्चा स्वराज्य तभी आयेगा जब लोगों में इतनी जनजागृति आ जाये कि वे गलत आदेशों और कानूनों का विरोध कर सकें। जैसे कि हरेक देश खाने, पीने और सांस लेने में सक्षम है उसी तरह प्रत्येक देश अपने मामलों का निपटारा करने में भी सक्षम हो। चाहे वे मामले कितने ही खराब तरीके से निपटाये जायें।
* पूर्ण स्वराज्य का अर्थ है – देश के लाखों मेहनती लोगों को आर्थिक आजादी। और इन मेहनती लोगों का किसी भी तरह का आर्थिक शोषण नहीं हो।
* यदि भारत को अहिंसा के रास्ते पर जाना है तो मेरा सुझाव है कि भारत की सभी व्यवस्थाओं का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। केन्द्रीकरण को चलाने में हिंसा होती ही है।
* पूरे भारत को ग्रामीण स्तर पर व्यवस्थित किया जाये तो भारत पर विदेशी हमलों का खतरा कम होगा। लेकिन यह ग्रामीण भारत थल सेना, वायु सेना और जलसेना से सुसज्जित होना चाहिए।

शहरी भारत पर विदेशी हमलों का खतरा अधिक है।

* व्यवस्था का केन्द्रीकरण, अहिंसात्मक समाज के साथ मेल नहीं खाता है।
* वास्तविक प्रजातंत्र इसमें नहीं हो सकता कि केन्द्र में कुछ 20–25 लोग मिलकर फैसले करें। वास्तविक प्रजातंत्र तो गाँव–गाँव के लोगों द्वारा मिलकर किये गये फैसलों में ही हो सकता है।
* आज सत्ता और शक्ति के केन्द्र दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जैसे बड़े शहर बने हुए हैं। जबकि ये शक्ति और सत्ता केन्द्र भारत के 7 लाख गाँवों में होने चाहिए।
* स्वतंत्रता नीचे गाँव से शुरू होनी चाहिए। अतः प्रत्येक गाँव अपने आप में गणतंत्र होगा। उस गांव की पंचायत को फैसले करने के सम्पूर्ण अधिकार होंगे। अर्थात् प्रत्येक गाँव अपनी समस्याओं का समाधान करने और अपनी व्यवस्थाओं को चलाने में सक्षम होगा। चाहे वह गाँव की सुरक्षा का मामला ही क्यों न हो।
* ग्राम पंचायतों को जितनी अधिक सत्ता और शक्ति होगी उतनी ही अधिक बेहतर लोगों की जिंदगी होगी।
* यदि सब गाँव सम्पूर्ण स्वावलंबी हो जायें तो, कोई भी परेशानी नहीं होगी।
* सभी गाँवों को अन्न, वस्त्र तथा अन्य बुनियादी जरूरतों में सम्पूर्ण स्वावलंबी होना चाहिए।
* हालाँकि हमारा लक्ष्य गाँवों को पूर्ण स्वावलंबी बनाने का है, लेकिन यदि गाँव कुछ वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकते (यदि वे वस्तुयें जीवन के लिये जरूरी हैं) तो उन वस्तुओं को दूसरे गाँवों अथवा शहरों से मँगाया जा सकता है।
* स्वराज्य सरकार की सबसे बड़ी विफलता होगी यदि गाँव के लोग अपने दैनिक जीवन के हरेक काम और व्यवस्था के लिये सरकार के ऊपर निर्भर हों।
* मेरे आदर्श गाँव में बुद्धिमान लोग रहेंगे। वे गंदगी और अंधेरे में जानवरों की तरह से नहीं रहेंगे। स्त्री और पुरुषों को इस बात की आजादी होगी कि अपनी जरूरत के सभी साधनों को रखने के लिये समर्थ हों। गाँव में कॉलरा, प्लेग या चेचक जैसी कोई बीमारी नहीं होगी। गाँव में कोई भी आलसी नहीं होगा। कोई भी

भोग–विलासी नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने हिस्से का श्रम करना होगा। रेलवे, पोस्ट–टेलीग्राम और अन्य साधनों पर भी विचार करना संभव है।

* मेरा उद्देश्य ग्राम्य सरकार की एक रूपरेखा प्रस्तुत करना है। जहाँकि वास्तविक लोकतंत्र हो जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित हो। प्रत्येक व्यक्ति अपनी सरकार का शिल्पी होगा। अहिंसा का कानून उस सरकार को चलायेगा।
* गाँव में प्रत्येक व्यक्ति को बारी--बारी से गाँव की सुरक्षा का कार्य करना होगा।
* ग्राम सरकार ग्राम पंचायत के द्वारा चलायी जायेगी। ग्राम पंचायत में 5 सदस्य होंगे। ग्राम पंचायत का चयन गाँव के वयस्क स्त्री और पुरुषों के द्वारा किया जायेगा। जो प्रत्येक वर्ष में चुनी जायेगी। जो उम्मीदवार चुने जायेंगे, उनमें कुछ बुनियादी योग्यता होनी जरूरी है। इसी पंचायत को ही सभी शक्ति और अधिकार होंगे। जैसे न्याय करने, सजा देने, कानून नियम बनाने, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सँभालने आदि के सभी अधिकार पंचायत को ही होंगे। इस काम–काज में केन्द्रीय या राज्य सरकारों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। प्रत्येक गाँव इसी तरह का गणतंत्र होगा।
* अहिंसा आधारित समाज में गाँव के सभी समूह एक दूसरे को सहयोग करेंगे। यह सहयोग स्वेच्छा से होगा।
* प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका चलाने लायक सम्मानजनक रोजगार मिलेगा। यह आदर्श तभी पूरा हो सकता है जब उत्पादन का तन्त्र और सारे संसाधन लोगों के नियंत्रण में रहें।
* हमारे देश के लोगों की भयंकर गरीबी का कारण है कि हमारा समाज अर्थव्यवस्था और जीवन में स्वदेशी के सिद्धान्तों और आदर्शों से बहुत दूर चला गया।
* स्वदेशी एक धार्मिक अनुशासन है, जो कितने ही दुखों और कष्टों के बावजूद अपनाया जाना चाहिए।
* मानवता और प्यार को धारण कर सके, ऐसा एक ही सिद्धान्त है स्वदेशी।

* प्रत्येक मनुष्य को जीवन जीने का अधिकार है। इसलिये रोटी–कपड़ा–मकान की जरूरतें पूरी करने के लिये सभी जरूरी साधन पाने का भी मनुष्य को अधिकार है। इस साधारण–सी बात के लिये हमें अर्थशास्त्रियों के नियमों और सिद्धान्तों की जरूरत नहीं है।
* मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि भारत को सच्ची आजादी पानी है और उसे बचाये रखना है तो भारतीय लोगों को गाँवों और झोपड़ियों में ही रहना होगा, न कि शहरों और महलों में। भारत के करोड़ों लोग कभी भी महलों और शहरों में नहीं रह पायेंगे। यदि ऐसा हुआ भी तो इसके लिये भयंकर हिंसा और असत्य का सहारा लेना पड़ेगा।
* मैं मानता हूँ कि सत्य और अहिंसा के रास्ते के अलावा और कुछ भी नहीं है जो मानव जाति के लिये हितकर हो। गाँव के साधारण और सादगीपूर्ण जीवन में ही यह सत्य और अहिंसा चल सकती है। यह सादगी सबसे अधिक चरखा में ही मिलती है। मुझे यह कहने में कोई डर नहीं है कि आज दुनिया गलत रास्ते पर जा रही है। यह भी हो सकता है कि भारत भी उसी गलत रास्ते पर जाये और उस कहावत की तरह जिसमें यह कहा जाता है कि "पतंगा उसी लौ में जल जाता है जिसके नजदीक वह सबसे अधिक नाचता–डोलता है"। यह मेरा परम कर्तव्य है कि मैं अपने जीवन की आखिरी सांस तक भारत को उस गलत रास्ते पर जाने से रोकूँ ताकि भारत के साथ दुनिया को सर्वनाश के रास्ते से बचा सकूँ।
* यूरोप में भीमकाय फैक्टरियाँ और विशाल हथियारों का जखीरा एक दूसरे के साथ इतने जुड़े हुए हैं कि इन्हें अलग करना संभव नहीं है। यदि इनमें से एक का अस्तित्व समाप्त हो तो दूसरे का रहना संभव नहीं है। अहिंसा आधारित सभ्यता का रास्ता तो भारतीय ग्राम गणराज्य से ही होकर जाता है।
* राजनैतिक स्वतन्त्रता का अर्थ मेरे लिये ब्रिटेन के हाउस आफ कॉमन्स की नकल नहीं है।

* मेरा स्वराज्य भारतीय सभ्यता के गुण–स्वभाव को अक्षुण्ण रखने के लिये है। मैं कई नई बातें लिखना चाहता हूँ जो भारतीय परिस्थितियों को बताती हों।
* बाहरी स्वतन्त्रता और भीतरी स्वतन्त्रता दोनों ही समान अनुपात में होगी। बाहरी स्वतन्त्रता तो हम प्राप्त करेंगे लेकिन भीतरी स्वतन्त्रता तो अंदर से ही किसी विशेष क्षण पर हमें विकसित करनी होगी। यदि स्वतंत्रता का यह सही दृष्टिकोण है तो हम सभी को अपनी मुख्य शक्ति आन्तरिक सुधार में लगानी चाहिए।
* मैं मानता हूँ कि किसी देश के विकास में यदि कच्चे माल और प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर इस्तेमाल हो तथा वहाँ के मानवीय श्रम की उपेक्षा की जाय, तो ऐसा विकास असंतुलित ही होगा।
* भारतीय श्रम शक्ति का बेहतर उपयोग और संसाधनों का उचित बँटवारा (उन सभी गाँवों में जो कि भारत में हैं) ही भारत के विकास की सही योजना है।
* यदि मजदूरों को अहिंसा का रास्ता समझ में नहीं आये तो अपनी व्यावसायिक सुरक्षा के लिये और आर्थिक शोषण के विरुद्ध हिंसा का भी सहारा लेने में नहीं हिचकेंगे।
* आज जो भी देश आंशिक रूप से प्रजातान्त्रिक हैं वे या तो पूरी तरह से सर्वसत्तावादी (निरंकुश) हो जायेंगे; या यदि वे ईमानदारी से प्रजातान्त्रिक होने की कोशिश करेंगे तो साहस के साथ अहिंसा के रास्ते पर ही जायेंगे। यह कहना बहुत ही गलत है कि अहिंसा सिर्फ व्यक्तियों द्वारा ही व्यवहार में लायी जा सकती है, राष्ट्रों के द्वारा नहीं। राष्ट्रों द्वारा भी अहिंसा निभायी जा सकती है, क्योंकि राष्ट्र व्यक्तियों के द्वारा ही बनते हैं।
* आजाद भारत में अधिक मात्रा में सरकारी कर्मचारियों को रखने की क्षमता नहीं होगी। हमारे लाखों लोगों की भुखमरी की स्थिति में सरकारी कर्मचारियों पर खर्चा करना संभव नहीं होगा।
* जहाँ साधन साफ–सुथरे हों वहाँ ईश्वर हमेशा अपना आशीर्वाद देने के लिये उपस्थित रहता है।
* इसमें कोई शक नहीं है कि यूरोपीय सभ्यता की हवा भारत में भी बह रही है। लेकिन मुझे विश्वास है कि यह क्षणिक ही साबित

होगी। एक समय आयेगा कि भारतीय सभ्यता फिर से पुनर्जीवित होगी।

* आधुनिक सभ्यता यूरोप के लिये अभिशाप है। भारत में भी यह अभिशाप साबित होगी। इस आधुनिक सभ्यता का ही सीधा परिणाम है–युद्ध।

* आधुनिक सभ्यता को दो बातों से ही व्याख्यायित किया जा सकता है। एक तो आधुनिक सभ्यता में किया–कलाप निरंतर चलते रहते हैं। दूसरा, यह आधुनिक सभ्यता समय–काल का सर्वनाश करने का उद्देश्य रखती है। इस आधुनिक सभ्यता में प्रत्येक व्यक्ति भयंकर व्यस्त दिखायी देता है। मेरे लिये यह बहुत खतरनाक लक्षण है। इस सभ्यता में प्रत्येक व्यक्ति अपने दो समय की रोटी कमाने में ही इतना व्यस्त है कि उसके पास अन्य किसी बात के लिये समय नहीं है। इस आधुनिक सभ्यता ने लोगों को इतना भौतिकवादी बना दिया है कि उनका ध्यान हमेशा अपने शरीर पर या शरीर के आराम को बढ़ाने वाले साधनों को कैसे बढ़ाया जाय, इसी पर रहता है।

* भारत के शहरों में जो अकूत सम्पत्ति दिखायी देती है, वह अमरीका और इंग्लैण्ड से नहीं आयी है, बल्कि हमारे देश के निर्धनतम लोगों के खून में से पैदा हुई है।

* यदि मनुष्य को सिर्फ इतनी–सी बात समझ में आ जाये कि गलत कानूनों को मानना मानवता के खिलाफ है, तो दुनिया की कोई भी शक्ति उसे गुलाम नहीं बना सकती है। यही स्वराज्य की कुंजी है।

अर्थव्यवस्था का स्वदेशीकरण

1

स्विस बैंकों व अन्य विदेशी बैंकों में पड़ा हुआ काला धन भारत में वापस लाने के लिए

देश के भ्रष्ट धनपतियों, भष्टाचारी राजनेताओं और अधिकारियों ने देश के कार्यक्रमों–योजनाओं में बेईमानी और घोटाला करके करीब–करीब एक हजार अरब डालर विदेशी बैंकों में अपने खातों में जमा किया हुआ है। यह रकम भारत के ऊपर आज की तारीख में लदे विदेशी कर्जे से तकरीबन सात गुनी ज्यादा है। यह राशि इतनी बड़ी है कि उसमें से भारत के 45 करोड़ गरीब लोगों – बच्चों व बूढ़ों तक को – सबको एक – एक लाख रुपये बांटे जा सकते हैं। यह पूरी रकम देश की जनता से ठगी कर, उसका खून चूसकर जमा की गयी है। यह वस्तुतः देश की संपत्ति है। इसलिए विदेशी बैंकों में भारत के किसी भी व्यक्ति की जो भी संपत्ति है, उसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके देश में वापस लाने की कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी संपत्ति गैरकानूनी तरीके से विदेशों में रखने के लिए बेईमान धनपतियों, भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों को दस साल की कड़ी कैद से लेकर फांसी की सजा तक होनी चाहिए।

इस तरह भ्रष्ट तरीके से जमा की हुई संपत्ति विदेशी बैंकों में पड़ी है, जिसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने का काम राज्य सभा व लोकसभा में कानून बनाकर हो सकता है। ऐसा कानून पूरे देश में सरकार पर प्रचंड दबाव लाये बगैर संभव नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने ऐसी संपत्ति विदेशी बैंकों में जमा कर रखी है वही लोग सरकार में और संसद में बैठे हुए हैं। फिर भी प्रचंड दबाव कायम करने के लिए आजादी बचाओ आंदोलन सक्रिय रूप से प्रयत्नशील है। यदि एक बार आम जनता इसकी जरूरत समझ ले तो सरकार के ऊपर प्रचंड दबाव लाने के लिए सबसे अच्छा समय चुनाव के दौरान ही हो सकता है। लोकसभा चुनाव का हरेक उम्मीदवार ऐसा कानून बनाने का वचन न दे तो उन्हें मत न देने का ऐलान करना चाहिए। एक बार इस प्रकार का वातावरण तैयार हो जाए तो हरेक दल के उम्मीदवारों और निर्दलीय उम्मीदवारों को भी ऐसा कानून बनाने का वचन देना पड़ेगा। इस तरह वचनबद्ध उम्मीदवार लोकसभा में चुनकर आयें तो ऐसा कानून बनाने में सक्षम हो सकते हैं।

एक बार ऐसा कानून बन जाए तो विदेशी बैंकों में पड़ी हुई अकूत संपत्ति राष्ट्रीय संपत्ति घोषित हो सकती है। चूँकि विदेशी बैंकों के नियम के अनुसार वे केवल व्यक्तिगत संपत्ति ही रख सकते हैं, राष्ट्रीय संपत्ति नहीं; इसलिए राष्ट्रीय संपत्ति घोषित की हुई तमाम रकम देश में आ सकती है। इसमें से विदेशी कर्जा तो सिर्फ एक दिन में चुक जायेगा और विदेशी कर्ज से छः गुनी ज्यादा रकम भरपाई के बाद भी बच जायेगी। इस बची हुई रकम के ब्याज से भारत सरकार का संपूर्ण बजट चल सकता है और तमाम प्रकार के कर निकाल दिए जाएं तो भी भारत सरकार आज के अनावश्यक खर्चे इसी ब्याज से चालू रख सकती है। हालाँकि हम सरकार के इन गलत खर्चों को भी बंद करवाना चाहते हैं। इन पर एक नजर डालें तो मालूम होगा कि हमारे भ्रष्ट नेताओं, क्रिकेटरों, सिने अभिनेताओं, नौकरशाहों और धनपतियों ने कितने जबरदस्त पैमाने पर पूरे देश में लूट मचा रखी है और कितने जबरदस्त तरीके से अवैध संपत्ति जमा की है। इस भारी लूट से जमा की हुई रकम विदेशी बैंकों में अवैध रूप से सगे – संबंधियों के नाम पड़ी हुई है। यह तमाम संपत्ति जायज और नैतिक दोनों ही तरीकों से वस्तुतः देश की जनता की है। इसलिए यह संपत्ति वापस प्राप्त करने के लिए प्रचंड आंदोलन छेड़ना अत्यंत आवश्यक है।

2

रुपये और डालर का पुनर्मूल्यांकन

अमेरिका और यूरोप के देशों ने पिछले पचास सालों से दुनिया के गरीब देशों की मुद्रा का अवमूल्यन करवाकर करीब–करीब हर देश में कल्पना से ज्यादा लूट मचा रखी है। देश में विकास के बहाने गलत तरीके से पट्टी पढ़ाकर करोड़ों और अरबों डालर के ऊँचे ब्याज पर कर्ज दिलवाकर अनेक देशों में उनके अर्थतंत्र को चौपट कर रखा है और ये सब देश कभी भी ब्याज व मूल वापस न चुका सकें, ऐसी भयंकर स्थिति पैदा कर रखी है। ऐसी स्थिति में देश की मुद्रा का ज्यादा से ज्यादा अवमूल्यन करवाकर देश में तैयार होने वाली श्रेष्ठ चीजें यथा – खेती की पैदावार, खनिज वगैरह ये कौड़ियों के मोल ले जाते हैं और खुद के देश में बना सामान, वैज्ञानिक उपकरण मशीनरी वगैरह हजारों गुनी कीमत पर गरीब देशों को बेचते हैं। इस साजिश को सफल करने के लिए मुद्रा का अवमूल्यन एक प्रबल हथियार है। इसके लिए वे विकासशील देशों के अर्थशास्त्रियों को और मूर्ख व स्वार्थी राजनेताओं को समझा देते हैं। इस तरह

पश्चिम के असर में पले हुए अर्थशास्त्री और राजनेता अपनी नजर के सामने ही विद्यमान वास्तविकता को नजर अंदाज करते हैं और पश्चिम के देश मालामाल व खुद का देश कंगाल हो जाए, ऐसे निर्णय लेकर देश की मुद्रा का अवमूल्यन कराके गरीबी और बेकारी बढ़ाते हैं तथा देश की 90 फीसदी जनता बदहाली में आ जाए ऐसे काम करते हैं। और यह सब विकास के नाम पर चल रहा है ! अफ्रीका के बहुत सारे देशों की मुद्राओं की कीमत डालर से ज्यादा ऊंची थी परंतु आज एक डालर में एक हजार से दो हजार मुद्राओं की हद तक अवमूल्यन करवा के अफ्रीकी देशों की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया गया है। मैक्सिको, ब्राजील, इंडोनेशिया जैसे देशों की आज जो हालत है और अपने देश को भी बहुत ज़ल्दी उसी दिशा में ले जाने की जो कवायद चल रही है, यह सब एक दिन के लिए भी बर्दाश्त के बाहर है।

इसलिए वर्तमान डालर के मुकाबले रुपये की कीमत का पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए। एक जर्मन अर्थशास्त्री ने लिखा है कि भारत में रुपये और डालर की कीमत बराबर रहनी चाहिए। ऐसा करने के लिए कोई भी सार्वभौम सरकार स्वतंत्र है। भारत सरकार अगर एक डालर बराबर एक रुपया विनिमय दर घोषित कर दे तो देश की 90 प्रतिशत जनता को अत्यधिक लाभ हो जायेगा और देश के अंदर सस्ती चीजों का स्वर्ग खड़ा हो जायेगा। पेट्रोल का भाव 70 पैसे लीटर, लोहे का भाव 20 रुपये किलो से 50 पैसे, रेफ्रीजिरेटर की कीमत दस हजार रुपये से 800 रुपये और मोटर कार की कीमत दो लाख रुपये की जगह 15 से 20 हजार रुपये हो जाए। ऐसे ही तमाम औद्योगिक उत्पादन अतिशय सस्ते हो जाएं। भारत सरकार के बजट में से एक लाख करोड़ रुपये ब्याज चुकाने में जाता है, वह सिर्फ दो से तीन हजार करोड़ हो जाए। देश का कर्जा हर 45 रुपये से घटकर एक रुपया हो जाए। इस तरह कुल कर्ज 45 वें भाग के बराबर हो जाए तथा कल्पना के बाहर लाभ हो। पेट्रोलियम उत्पादों के आयातों का बिल 45 वां भाग हो जाए। इस तरह सरकार को टैक्स लेने की जरूरत ही न रहे, उल्टे बहुत सारे टैक्स कम करने पड़ें।

दूसरी ओर देश के धनपतियों और सरकार के अर्थतंत्र का समीकरण बिगड़ जाए, तमाम धनवानों को नुकसान हो। देश की संपत्ति पानी के मोल विदेश में चली जाती है वह बंद हो जाए और इस व्यवसाय में करोड़ों और अरबों की मलाई खाने वाले निर्यातक नुकसान में उतर आएं। सरकार का बजट छोटा हो जाए और सरकारी अधिकारियों का वेतन घटाना पड़े व उनकी संख्या में कटौती करनी पड़े। यह सारा का सारा नुकसान केवल स्थापित हितों का ही हो

और तमाम लाभ देश की गरीब जनता का। लेकिन यह देश गरीब और सामान्य जनता को चूसकर स्थापित हित लाभ के लिए चलता है। इसलिए ही सरकारें ऐसे जनहित के कदम नहीं उठाती हैं। यह कार्य फौरी तौर पर युद्ध स्तर पर करवाने की नीयत आजादी बचाओ आंदोलन रखता है।

3

देश की अर्थव्यवस्था में काले धन को सफेद बनाने के बाबत्

आयकर को पूर्णतः समाप्त करना है। बहुत लोगों का कहना है कि यह काला धन सिर्फ आयकर से ही पैदा हुआ है और आज हमारे देश में दस लाख करोड़ रुपयों का काला धन मौजूद है। सरकार धन के अभाव में विदेशों से कर्ज ले रही है। यह कर्ज दस लाख करोड़ रुपये जितना है और इसका ब्याज भी भर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। ब्याज चुकाने के लिए फिर से कर्ज लेना पड़ता है और इसके लिए देश की आजादी गिरवी रखनी पड़ती है। तो फिर देश में ही दस लाख करोड़ रुपयों का काला धन क्यों न उपयोग में लाया जाए? यह बात समझने लायक है। इसलिए आयकर बंद होना चाहिए और काले धन की उत्पत्ति करने वाले जो भी कानून हैं, उनको खत्म करना चाहिए। आयकर खत्म करने से सरकार की आमदनी में जो कमी होती है उसकी भरपाई फिजूलखर्ची में कमी करके की जा सकती है। सरकार लोगों के जीवन में ज्यादा हस्तक्षेप न करे और उन्हें परेशान न करे। लोगों को परेशानी और तकलीफ हो, सरकार ऐसे कार्य कर रही है, जो लोकतंत्र में नुकसानदायक है और इससे देश कमजोर होता है। इसलिए सरकार का आकार घटाना चाहिए और सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। कर्मचारियों, अधिकारियों को कम करना और उनकी फिजूलखर्ची को रोकना है। इसी में देश का कल्याण है।

4

आर्थिक गुलामी का कारण गैट करार जैसे अंतरराष्ट्रीय समझौतों को तत्काल रद्द करना

हम विश्व व्यापार संगठन के गुलाम बन चुके हैं। ऐसे करार तत्काल रद्द होने चाहिए और ऐसे संगठन की सदस्यता से तुरंत निकल जाना चाहिए।

इस संदर्भ में आजादी बचाओ आंदोलन कदम उठाने की सख्त जरूरत महसूस करता है। विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनना या गुलाम हो जाना, ये दोनों एक ही बात हैं। विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनने के साथ ही एक सार्वभौमिक राष्ट्र के रूप में हमारी पहचान खत्म हो गयी है, क्योंकि हमारी सरकार विश्व व्यापर संगठन के इशारों पर नाचने वाले गुलाम से बेहतर नहीं है। संसद में और सरकार में खुल्लम खुल्ला देश को बेच डालने वाले कानून अब बन रहे हैं। पेटेंट कानून के जरिए विदेशी कंपनियां पूरे देश की लूट कर सकें, ऐसा काम सरकार ने किया है। हमारा पेटेंट कानून देश के हित में था। उससे हमारे यहां दवाओं के भाव पूरी दुनिया में न्यूनतम थे। वे इस हद तक सस्ती थी कि विदेशों में जो दवाई 20 से 25 रुपये की मिलती हो वह भारत में केवल एक रुपये में मिल जाती थी। इतने कम दाम होने के बावजूद हमने पिछले 30 साल में दवाइयों के क्षेत्र में इतनी जबरदस्त प्रगति की है कि तीस साल पहले तक जहां एक साल में सत्तर करोड़ रुपयों की दवायें बनती थीं उसके स्थान पर आज 14 हजार करोड़ रुपयों की दवायें बनने लगी हैं। दवाओं के कारखानों की संख्या पिछले 30 सालों में लगभग 80 हजार हुई, जिसमें लाखों लोग रोजगार पा रहे हैं। यह सब दवाओं के दाम इतने कम होने के बावजूद है और उनकी गुणवत्ता भी उसी अनुपात में श्रेष्ठ है। 7000 करोड़ रुपयों की दवा हम अपने यहां से विदेशों में भेजते हैं।

हमारे देश की दवा उद्योग का चहुँमुखी विकास विदेशी कंपनियों को पसंद नहीं आया। उन्होंने हमारी गुलाम सरकार को पेटेंट कानूनों में संशोधन के लिए मजबूर किया ताकि इन सभी दवाओं को बनाने का अधिकार सिर्फ विदेशी कंपनियों के ही हाथ में रहे। हमारे देश में कोई दवा उनकी मर्जी अथवा उन्हें रायल्टी दिए बगैर नहीं बन सकती और वे लोग मनमाने दाम पर दवाएं बेच सकते हैं। इस पेटेंट कानून का सीधा दुष्परिणाम यह आयेगा कि आज जो दवा एक रुपये में मिलती है, उसका दाम 20 से 25 रुपये हो जायेगा और देश की जनता लुट जायेगी। लूट का यह धन वे विदेश ले जायेंगे और देश ज्यादा से ज्यादा गरीब और गुलाम हो जायेगा। विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनने का यह लाभ है! यह तो सिर्फ तस्वीर का एक पहलू है। ऐसे और भी अनेक पहलू हैं। देश के किसान पैरों तले रौंदे जायेंगे। विदेशी अनाज, दलहन और दूध बेरोक -- टोक आयात होने लगा है और बहुत कम समय में किसान भूख से मरने लगेंगे। उद्योगों का सफाया भी उतनी ही तेजी से हो रहा है। आठ करोड़ लोग बेकार हो चुके है और भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। ऐसी अनेक गैर लाभदायक

व गुलामी की शर्तें एक के बाद एक लादी जा रही हैं। इसके बाद भी गुलाम बनी हुई सरकार और उसके मुखिया उनके गुणगान में लगे हैं कि यह सब प्रगति की निशानी है। प्रगति उनकी खुद की हो रही है। वास्तव में वे सभी भ्रष्ट हैं और देश को दगा दे रहे हैं। चार हजार विदेशी कंपनियाँ देश को लूटने के लिए आ चुकी हैं। ये तमाम कंपनियां देश के अधिकारियों और नेताओं को कमीशन के रूप में मोटी रकम लूट में से चुकाती हैं। इसलिए इन लुटेरी कंपनियों की लूट में देश के अधिकारियों व नेताओं की भी भागीदारी है। विश्व व्यापार संगठन के नाम पर यह लूट खुलेआम चल रही है। हाल ही में क्यूबा के प्रमुख श्री फिदेल कास्त्रो ने बताया है कि उदारीकरण और वैश्वीकरण के नाम से अनेक देशों को लूट लेने की विश्वव्यापी खुली साजिश चल रही है। उसमें शामिल हरेक देश के नेताओं को पकड़कर उन पर हिटलर की तरह विशेष अदालतों में केस चलाना चाहिए। हमारा देश कितनी मात्रा में और कितनी तेजी से बिक रहा है यह आंकड़ों से मालूम हो जायेगा। इन परिस्थितियों से निकलनें का एकमात्र रास्ता यह है कि विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता से तुरंत निकल जाया जाय।

आजादी बचाओ आंदोलन इस बारे में बहुत गंभीर है और इसके लिए एक करोड़ लोगों के हस्ताक्षर लेकर एक अपील प्रधानमंत्री को सौंपने का अभियान छेड़ा है। इसके पीछे ध्येय यह है कि एक करोड़ लोगों के हस्ताक्षर लेने के बाद लोकमत का दबाव होगा तथा सरकार जो गलत कदम उठा रही है संभवतः उसको सही रास्ते पर ले जाने की सूझ आये। इसके बाद भी अगर सरकार नहीं माने तो सुप्रीम कोर्ट में एक करोड़ लोगों के साथ मुकदमा करके देश को भ्रष्टाचार व गुलामी के दलदल से निकलने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेने का विचार है। इन सबसे भी समस्या का हल नहीं हुआ तो अन्त में तो जनविद्रोह का ही रास्ता बचता है।

5

अंग्रेजों के समय से चालू 'कर' जैसे कि सेंट्रल एक्साइज, सेल टैक्स, आक्ट्राय वगैरह को खत्म करने के संबंध में

ये सब गुलामी के समय के कर हैं। कोई भी आदमी उद्योग लगाकर उत्पादन करता है, लोगों को रोजगार देता है, पूंजी का निर्माण करता है यह स्वाभाविक है। इससे देश मजबूत होता है और लोग सुखी होते हैं। परंतु अंग्रेजों

को यह सब पसंद नहीं था इसलिए उन्होंने ऐसी उत्पादन की प्रवृत्तियों को रोकने के लिए उत्पादन पर भारी कर लगाया था जिसका नाम सेंट्रल एक्साइज है। गांधीजी ने नमक सत्याग्रह के लिये दांडी कूच किया, इस सेंट्रल एक्साइज नामक कानून को तोड़ने के लिए। लेकिन स्वराज मिलने के बाद भी सरकारों ने तमाम वस्तुओं के उत्पादन पर सेंट्रल एक्साइज लगाकर देश में गुलामी की बेड़ियों की जकड़ कायम रखी। इसलिए आज की सरकार अपनी सरकार नहीं है वरन् विदेशी हितों के लिए काम करती है। इसी तरह से आज की पूरी व्यवस्था न केवल हमारे हितों के विरुद्ध है अपितु विदेशियों के हितों के लिए खड़ी की गयी व्यवस्था है। इसे तत्काल खत्म कर नई व्यवस्था खड़ी करना जरूरी है। इसलिए सेंट्रल एक्साइज, सेल टैक्स और आक्ट्राय जैसे कर तत्काल खत्म करने का लक्ष्य आजादी बचाओ आंदोलन रखता है।

इस कर व्यवस्था का क्या असर देश पर होता है यह समझने योग्य है। सेंट्रल एक्साइज, यह उत्पादन कर है। किसी भी व्यक्ति ने किसी प्रकार का उत्पादन करने के लिए उद्योग स्थापित किया हो तो मानो वह आदमी जबरदस्त गुनहगार हो, इस तरह से सरकार उन पर अंकुश लगाती है। उसके कारखानों पर सरकार के अधिकारियों का ही अंकुश होता है। कारखाने में कोई चीज लानी हो, बाहर ले जानी हो तो भी सरकारी अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना कुछ हो नहीं सकता। हकीकतन, सरकारी अधिकारी की गुलामी किए बगैर कोई व्यक्ति कारखाना चला नहीं सकता। सरकारी अधिकारी को इस हद तक अधिकार होता है कि वह कारखानेदार को कभी भी पकड़कर जेल में ठूंस सकता है और लाखों रुपयों का दण्ड गलत तरीके से थोप सकता है। सेंट्रल एक्साइज अधिकारी की दया पर ही कारखानों में काफी मुनाफा भी हो रहा है। इस बड़े मुनाफे में सेंट्रल एक्साइज अधिकारियों को खुश रखना पड़ता है, इसलिए सेंट्रल एक्साइज के सरकारी अधिकारियों को अपनी मोटी तनख्वाह के अलावा करोड़ों–अरबों रुपये गैर–कानूनी ढंग से कारखाने के मालिकों से प्राप्त हो रहे हैं और नेताओं तक में इनका बंटवारा होता है। हालांकि हर सरकारी तंत्र में कुछ ईमानदार लोग भी होते हैं पर उनको महज अपवाद के तौर पर ले सकते हैं। इस सेंट्रल एक्साइज के कानून से सरकार को 25 हजार करोड़ रुपयों की आय होती है, परंतु सेंट्रल एक्साइज के अधिकारी जो करोड़ों रुपयों की लूट चलाते हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है। मान लें कि यह लूट 5

हजार करोड़ रुपयों की है तो कुल 30 हजार करोड़ रुपये कारखानेदार की जेब से निकलते हैं। यह सब रकम उत्पाद की कीमत में जुड़ती है और वस्तुएं महंगी होती हैं। इस तरह यह पूरी रकम जो व्यक्ति वस्तु खरीदता है उसी की जेब से जाती है। चायपत्ती, चीनी, जूते – चप्पल, कपड़ा – आदि जीवनोपयोगी वस्तुओं पर भी बड़ी रकम सेंट्रल एक्साइज के रूप में सरकार को मिलती है। गरीबों के विकास के लिए पैसे चाहिए इस बहाने ! इससे गरीबों का विकास होता है या विनाश, यह तो सहज ही समझ सकते हैं। ऐसे कर से आम जनता तो मरती ही है परंतु सब से ज्यादा परेशानी और गुलामी की यंत्रणा भोगते हैं कारखाने के मालिक।

इसका एक और खतरनाक परिणाम यह आया है कि जिसे अपना सामान बनाकर रखना है, जिसको सरकारी आधिकारियों की गुलामी नहीं करनी है, जो ईमानदारी से जीना चाहता है, उसके लिए एकमात्र रास्ता यही है कि जहां सेंट्रल एक्साइज लागू होता है उस उद्योग से वह दूर ही रहे। ऐसा कारखाना कोई है ही नहीं इसलिए ईमानदार, मेहनती, सूझबूझ वाले और स्वाभिमानी लाखों इंजीनियर, टेक्नीशियन, उद्यमी अपने नाना प्रकार के व्यवसाय के लिए छोटे से उद्योग में ही भला समझते हैं और सेंट्रल एक्साइज अधिकारियों की गुलामी किसी भी तरह से टालना चाहते हैं। इस तरह जो भी सेंट्रल एक्साइज के कानून की जद में आता है उसे ईमानदारी की कुर्बानी देनी पड़ती है, स्वाभिमान को ताक पर रखना पड़ता है और गुलामी को स्वीकारनी पड़ती है।

सेंट्रल एक्साइज का यही किस्सा कमोबेश सेलटेक्स पर भी लागू होता है। उससे भी कीमतें बढ़ती हैं। लगभग तमाम चीजों के ऊपर सेल टेक्स लगता है। कोई भी वस्तु बेचनी हो तो उस पर पांच से दस प्रतिशत विक्रय कर लगता ही है, जो खरीदार के सिर पर आता है। हर राज्य को विक्रय कर से सबसे ज्यादा बड़ी रकम की आय होती है। गुजरात राज्य की बिक्री कर की आवक एक साल में छः हजार करोड़ रुपये है। यह छः हजार करोड़ रुपया वस्तुओं की कीमत में शामिल है, इसलिए महंगाई बढ़ती है और यह सब रकम आम जनता की जेब काटकर वसूली जाती है। तेल का पीपा खरीदना हो तो वह 40 रुपये टेक्स देकर हमारे घर में आता है। तमाम उपभोक्ता वस्तुओं के ऊपर सेल टेक्स हैं। महंगाई बढ़ने का यह एक मुख्य कारण है। यह तमाम बोझ आखिरकार आम जनता पर ही होता है, गरीबी बढ़ती है और सरकार के पास

आयी हुई यह तमाम रकम सरकारी नौकरशाहों में, बड़े ठेकेदारों में, उद्योगपतियों में बंट जाती है। इसलिए ऊपर का 5 से 10 प्रतिशत वर्ग धनवान बन जाता है और 90 प्रतिशत वर्ग गरीब ही रहता है। सरकार का यह धंधा हो चुका है। गरीबों के नाम से, गरीबी हटाओ के नाम से, विकास करवाने के नाम से, गरीब और आम जनता को लूटकर प्राप्त किया हुआ अरबों रुपया गरीबों और आम लोगों को और ज्यादा गरीब बनाने के काम में लाया जाता है, इसलिए ऐसे कर आम जनता का खून चूसने वाले हैं। इसलिए यह कानून तत्काल हटाने का विचार आजादी बचाओ आंदोलन का है।

6

अलग अलग प्रकार के कर हटाकर केवल एक या दो कर स्थापित करना

यहां प्रश्न यह उठता है कि अगर सेंट्रल एक्साइज, सेल टेक्स, ऑक्ट्राय वगैरह खत्म कर दें तो सरकार चलेगी कैसे? हालांकि आज जिस तरीके से सरकार चलती है उस तरीके से तो नहीं चलनी चाहिए। उसके तौर तरीकों में खासी अव्यवस्थायें है। किफायत का नाम नहीं है। गरीबों को चूसकर नौकरशाही को घी--दूध पिलवाने की आज की नीति है। यह कभी नहीं चल सकता। आम जनता की जो कुछ सामान्य आमदनी है उसी अनुपात में सरकारी नौकरों को तनख्वाह मिलनी चाहिए। सरकारी अधिकारी जनता के सच्चे सेवक होने चाहिए। लोगों को परेशान करने के अधिकार उनके हाथ में नहीं होने चाहिए। इसलिए लाखों नौकरियों की जरूरत नहीं है। बहुत कम से काम चल सकता है। उनकी तनख्वाह भी बहुत बड़ी न हो। इससे बजट का आंकड़ा 50 या 100 वां भाग हो जायेगा। ऐसी स्पष्ट नीति से चलने वाली सरकारों के लिए केवल धनवान आदमी से ही टेक्स प्राप्त करने की पद्धति खड़ी करनी पड़ेगी। इसके लिए विलासितापूर्ण खर्च और साधनों के ऊपर कर डाल सकते हैं। मोटर कार, स्कूटर, एयरकंडीशनर, बंगला, आलीशान महल वगैरह पर खास प्रकार के कर लगाकर ही जरूरी रकम ली जा सकती है। यह तमाम कर सिर्फ स्थानीय निकाय जैसे पंचायत तथा नगर पालिका – आदि ही प्राप्त कर सकें। राज्य या केंद्र के पास आम जनता से कर वसूलने की कोई व्यवस्था न हो। केंद्र सरकार के पास केवल सीमा शुल्क यानी विदेश से आने वाली चीजों पर कर का अधिकार होना चाहिए।

7
शून्य टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों पर तत्काल प्रतिबंध और देश में आ गयी ऐसी कंपनियों को क्षतिपूर्ति बगैर निकाल बाहर करने के संबंध में

ठंडे पेय, टूथपेस्ट, साबुन, फास्ट फूड, खाद्य पदार्थ, आलू चिप्स, सौंदर्य प्रसाधन वगैरह उत्पादन में कोई खास टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत साधारण टेक्नोलॉजी में ही इन सारी चीजों का उत्पादन हो सकता है। ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे देश में सर्वसुलभ है। इन हालात में शून्य टेक्नोलॉजी की चीजों के क्षेत्र में काम करने वाली तमाम विदेशी कंपनियों को देश से खदेड़ बाहर करना चाहिए और उनकी तमाम संपत्ति जब्त कर लेनी चाहिए। सचमुच ऐसी कंपनियां देश का शोषण बहुत बड़े पैमाने पर कर रही हैं। 70 पैसे की ठंडे पेय की बोतल को 10 रुपये में बेचा जा रहा है। 2 से 3 रु. में बनने वाला टूथपेस्ट 27 रुपये में बिक रहा है। 5 रुपये के आलू में बनने वाले चिप्स को 510 रु. किलो में बेच रहे हैं। टेलीविजन में करोड़ों रुपयों के विज्ञापन के माध्यम से ऐसी शून्य टेक्नोलॉजी की चीजों के क्षेत्र में विदेशी कंपनियां पूरे बाजार में कब्जा कर रही हैं और मनमानी कीमत लेकर देश को लूट रही हैं। ये सब कंपनियां स्वचालित मशीनों के जरिए उत्पादन करती हैं, इसलिए लाखों आदमी रोजगार भी नहीं प्राप्त कर सकते। इन तमाम चीजों से हम बर्बाद हो रहे हैं। अरबों रुपये विदेशी कंपनियां बाहर लेकर जा रही हैं। इतने बड़े पैमाने पर शोषण के जरिए विदेशों में बहुत सारे पैसे चले जाते हैं और इधर अपना देश कंगाल हो, यह कभी बर्दाश्त नहीं हो सकता। इसलिए ऐसी कंपनियों की संपत्ति जब्त करके उन्हें तत्काल खदेड़ बाहर करना आजादी बचाओ आंदोलन का ध्येय है।

8
उच्च टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के साथ सिर्फ तकनीकी सहयोग की मंजूरी

विदेशों में ऊंची टेक्नोलॉजी है और वह हमें आयात करनी पड़े, ऐसे संयोग हो सकते हैं। कंप्यूटर और दूरसंचार के क्षेत्र में अद्भुत क्रांति हुई है, उससे हमें वंचित नहीं रहना है। हमें भी ऐसी उच्च तकनीकी पूरे देश में लानी है और उससे प्राप्त सुविधाओं की जरूरत हमें है, परंतु उसके लिए आवश्यक

वस्तुओं के आयात की जरूरत नहीं है।

उच्च टेक्नोलॉजी की चीजें हमारे देश में बनने के लिए विदेशी कंपनियों के साथ तकनीकी सहयोग करना चाहिए, परंतु उसमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी रूप में हमारा शोषण न हो। ऐसा सहयोग केवल पांच साल के लिए ही होना चाहिए और इसके बदले विदेशी कंपनियां गैरजरूरी लाभ न उठा ले जाएं, इसके लिए रायल्टी वगैरह की शर्तों में देश का हित सर्वोपरि रहे, यह बातें सहयोग की मंजूरी के समय ध्यान रखनी चाहिए। इस बारे में इतना जानने की जरूरत है कि हमारे विशाल देश में अत्यंत मेधावी प्रतिभाएं हैं और हम कोई भी वस्तु बनाने के लिए पूर्ण सक्षम हैं। सुपर कंप्यूटर जैसी उच्च टेक्नोलाजी की विलक्षण चीजें हम बगैर किसी मदद के बना सके हैं, रॉकेटों और उपग्रहों के प्रक्षेपण का काम हम कर चुके हैं और उसी आत्मविश्वास से हम चलें तो अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकते हैं। इसके बावजूद हम संकुचित दायरे में रहना नही चाहते और उच्च टेक्नोलाजी बहुत आसानी से अपने देश में आ सके, इसलिए तकनीकी सहयोग की पूरी–पूरी छूट रहेगी।

9

रोजमर्रा काम आने वाली चीजों का उत्पादन कुटीर उद्योग व ग्रामोद्योग में हो व इसके लिए यथासंभव उनका संरक्षण। इसी तरह से जिन वस्तुओं का उत्पादन कुटीर उद्योग में संभव न हो वहां लघु उद्योगों के लिए संरक्षण

देश में अनेक चीजें छोटे पैमाने पर गृह उद्योग में घर बैठे बन सकती हैं। ऐसी चीजों के लिए कारखाना बनाने की अनुमति न दी जाए। आलू चिप्स, पापड़, टूथपेस्ट, दंतमंजन, तेल, साबुन वगैरह का घर में ही उत्पादन हो सके, यह सुनिश्चित करने के लिए लघु उद्योग के बहाने भी कारखाना स्थापित करने की अनुमति न दी जाए। ऐसा करने से करोड़ों इंसानों को घर बैठे उत्पादन करने का रोजगार हासिल हो जायेगा। देश की सच्ची समृद्धि कुटीर उद्योगों के विकास में ही निहित है। चीन, जापान इसके बड़े उदाहरण हैं। कुटीर उद्योग से स्थापित कक्षाओं में उत्पादन होने से परिवहन का खर्च बच जाता है, विज्ञापन के खर्च बच जाते हैं, बीच वाले व्यापारी बाहर हो जाते हैं। इस तरह चीजें बहुत कम भाव में लोगों को मिलती हैं। लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, बेकारी

खत्म होती है और देश के संसाधनों का कम से कम दुरुपयोग होता है। इस तरह कुटीर उद्योग हर प्रकार से देश के हित में है। लेकिन जिन चीजों का उत्पादन घर में कुटीर उद्योगों में न हो सके और लघु उद्योगों में संभव हो तो ऐसी चीजों के लिए भी बड़े कारखाने स्थापित करने की पाबंदी हो। नहाने का साबुन जैसी शून्य टेक्नोलॉजी की चीजें लघु उद्योगों में श्रेष्ठतम गुणवत्ता के साथ बन सकती हैं। ऐसे में, इसके लिए बड़ी कंपनियां, बड़े कारखाने या विदेशी कंपनियों को मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए।

10.
जितना हो सके बड़े केंद्रित उद्योगों का विकेंद्रीकरण करना और जहां ऐसा संभव हो वहां बड़े उद्योगों पर प्रतिबंध.

यह इस देश का दुर्भाग्य है कि आज हमारे उद्योग बहुत केंद्रीकृत हो चुके हैं। भारत का संपूर्ण कपड़ा उद्योग 700 मिलों में समा जाता है, जिनके मार्फत 40,000 करोड़ रुपयों का दोहन होता है। हकीकतन, गांव–गांव में और घर–घर में आधुनिक यंत्रों से यह उद्योग विकेंद्रित होना चाहिए और उसका लाभ करोड़ों इंसानों को मिलना चहिए। कपास गांव–गांव में है। कपड़ा भी गांव–गांव में इस्तेमाल होता है तो कपास से बनने वाला कपड़ा गांव–गांव में व घर–घर में बनना चाहिए। ऐसा हो तो गांवों में समृद्धि बढ़ जाए व बेकारी खत्म हो जाए। आज से 150 साल पहले एक भी मिल भारत में नहीं थी तब कपड़ा घर–घर में गांव–गांव में बनता था। अब बिजली आई तो बिजली का उपयोग कर गांव–गांव में और घर–घर में यह उद्योग विकेंद्रित करने की सख्त जरूरत है। इसलिए टेक्सटाइल मिलों के मालिकों को नाराज करके भी एक झटके में मिलें बंद करवाके 2–3 साल के अंदर यह उद्योग करोड़ों घरों में विकेंद्रित कर सकते हैं। इसी तरह से पूरा चीनी उद्योग 400 से 500 मिलों के मार्फत चलता है, इसमें भी विकेंद्रीकरण की पूरी संभावना है। सरकार ने चीनी के ऊपर सेंट्रल एक्साइज डालकर बड़ी चीनी मिलों को वैक्यूम प्रोसेस के जरिए चीनी बनाने का एकाधिकार सौंप दिया है। यदि वैक्यूम प्रोसेस विधि का प्रयोग कर बहुत छोटे–छोटे संयत्रों को प्रोत्साहित किया जाए तो गांव–गांव में छोटी चीनी मिलें बन सकती हैं और ऐसा करने से चीनी का उत्पादन भी कम कीमत में होगा और

चीनी और गुड़ दोनों एक साथ बन सकेंगी। साथ ही मोलासिस बिल्कुल नहीं निकल पायेगी जिससे शराब बनती है और इस तरह उसका दूषण भी बंद हो सकता है। इसी तरीके से सीमेंट उद्योग अत्यंत भीमकाय उद्योगों में आता है। केवल 70 से 80 सीमेंट के बड़े कारखानों के सहारे सीमेंट पैदा होता है और ये कारखाने खुद का कार्टेल बनाकर कभी भी, कितना भी ऊंचा भाव लगाकर पूरे देश में लूट का धंधा कर सकते हैं। उसके बदले केवल सौराष्ट्र में ही चार हजार छोटे–छोटे सीमेंट संयत्र बन सकते हैं और इसका भाव बहुत कम हो सकता है। इसी तरीके से दवाओं के रसायन की मशीनरी, वाहन, बिजली उत्पादन आदि अनेक प्रकार के उद्योगों का विकेंद्रीकरण हो सकता है। ऐसा किया जाए तो देश का सच्चा विकास होगा और उसका लाभ आम जनता को मिलेगा। अभी पूरा औद्योगिक मायाजाल केवल मलाईदारों के 3 प्रतिशत वर्ग के हाथ में है और उसका तमाम लाभ वे लोग ले जाते हैं और आम जनता को चूस रहे हैं। इस व्यवस्था के खात्मे के लिए तत्काल तमाम उद्योगों का विकेंद्रीकरण करना जनता के हित में है।

11

ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसरों वाली उत्पादन प्रक्रिया और टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन; ज्यादा उत्पादन के स्थान पर ज्यादा लोगों द्वारा उत्पादन.

अब तक यह बात स्पष्ट हो गयी है कि उत्पादन की तमाम प्रक्रियाओं में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है। बाद में लघु उद्योग का स्थान आता है और इसके बाद मध्यम श्रेणी के उद्योग। बहुत आवश्यक होने पर ही अपवादस्वरूप भारी उद्योग का सहारा लिया जा सकता है। हमारी औद्योगिक नीति की प्राथमिकताएं यही होनी चाहिए। परंतु आज जो औद्योगिक नीति चल रही है वह स्पष्टत: सौ करोड़ लोगों को लूटने की नीति है। अब जो शोषण हो रहा है वह बड़े उद्योगों के जरिए होता है। इनके साथ शोषण की शक्ति हमेशा होती है। इसलिए बड़े उद्योगों को खत्म कर देना ही सच्चा रास्ता है। साथ ही बड़े उद्योगों में केंद्रित उत्पादन होने से उसके देश भर में ट्रांसपोर्ट के मायाजाल की जरूरत पड़ती है। विकेंद्रित उत्पादन गांव–गांव में हो और गांव–गांव में इसका उपयोग हो तो परिवहन की जरूरत कम होती है। यह बहुत बड़ा लाभ

है। परिवहन के साथ–साथ शोषण भी बढ़ता है। परिवहन में जो कुछ भी पैसा व शक्ति व्यय होती है, उससे समाज में समृद्धि नहीं बढ़ती, बल्कि सुख घटता है। बड़े उद्योगों के स्थान पर कुटीर उद्योग के जरिए उत्पादन हो तो लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। उस पर लाभ यह कि रोजगार नौकर के रूप में नहीं वरन् मालिक के रूप में मिलता है। उदाहरण के तौर पर आज भारत में संपूर्ण कपड़ा उद्योग सात सौ कपड़ा मिलों के जरिए चलता है और उसमें सात लाख लोग काम करते हैं। बड़े उद्योगों में स्वचालित मशीनों से ही उत्पादन होता है और बहुत कम कामगारों को रखने की नीति वहां होती है। उत्पादन के खर्च में लोगों का वेतन बहुत मामूली रकम होती है और मशीनों का रखरखाव और ब्याज बहुत बड़ी रकम होती है। यह राशि पूंजीपतियों के हिस्से में ही जाती है। अगर यह पूरा कपड़ा उद्योग पांच लाख गांवों में विकेंद्रित कर दिया जाए तो एक करोड़ परिवारों को स्वयं का स्वतंत्र रोजगार खड़ा करने का लाभ हासिल होगा। उनको नौकरी नहीं करनी पड़ेगी वरन् खुद के घर में,गांव में चरखा और कपड़ा बनाने का स्वयं का स्वतंत्र व्यवसाय वे इच्छानुसार चला सकेंगे। ऐसी विकेंद्रित पद्धति में करोड़ों लोगों की आजीविका की कमाई हुई रकम बड़ी और मुख्य हो जाती है, इसलिए प्रतियोगिता संतुलित हो जाती है। इससे जो कुछ संपत्ति का सृजन होता है वह आम जनता के बीच बंट जाता है। इसलिए बड़े उद्योगों के स्थान पर कुटीर उद्योगों की टेक्नोलाजी के जरिए लाखों करोड़ों लोगों द्वारा उत्पादन होना चाहिए।

12

उत्पादन पहले समाज के लिए, फिर देश की जरूरतों के लिए और उसके बाद ही निर्यात

सभी गांवों में गांव की जरूरत के अनुसार ही उत्पादन होना चाहिए। गांव में जितना तेल चाहिए, जितना कपड़ा चाहिए, सब गांव में ही आधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए बनाने का उपक्रम होना चाहिए। इस तरह से पूरे देश में गांव–गांव व शहर–शहर की जरूरत पूरी होने के बाद में उत्पादन ज्यादा हो तो गांव के बाहर या देश के बाहर जाना चाहिए। अभी तकरीबन उल्टी प्रथा है। देश की जनता भूख से मर रही है और उसके बावजूद अच्छे से अच्छा फल, बासमती चावल, मूंगफली के दाने वगैरह का निर्यात हो रहा है। निर्यात देश की

जरूरत के साथ कोई संबंध नहीं रखा गया है। यह बिल्कुल नहीं चलेगा। देश में पैदा हुई चीजें पहले देश की जनता के लिए होनी चाहिए। इसके बाद बच जाए तभी निर्यात होना चाहिए। यही सच्चा अर्थशास्त्र है। अभी शिमला का सेब शिमला की गरीब जनता को खाने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि टांसपोर्ट के जरिए अधिकांश सेब बड़े शहरों में जा रहा है और निर्यात भी होता है। सौराष्ट्र का प्रख्यात केसर आम वहां की गरीब जनता के भाग्य में नहीं होता वरन् उसे शहर के धनी वर्ग को बेच दिया जाता है और प्रोसेसिंग करके रस का टीन लंदन जैसे विदेशी शहरों में चला जाता है। अच्छे से अच्छी साग भाजी हमारे देश में बहुतायत में उत्पन्न होती है, परंतु गरीब लोगों के हिस्से में सूखी रोटी और नमक–चटनी ही आती है। उनको साग–भाजी नहीं मिलती है, जबकि विमानों के मार्फत सब्जी भाजी यूरोप के देशों में निर्यात होती है। यह सब तुरंत बंद होना चाहिए।

13.

गैरजरूरी चीजों के आयात पर प्रतिबंध.
जो वस्तु देश में बनती हो उसके भी आयात पर प्रतिबंध.

अभी बहुत सारी गैरजरूरी चीजों का आयात होता है और देश की कीमती विदेशी मुद्रा का दुरुपयोग होता है। सौंदर्य प्रसाधनों का आयात करना, देश के लिए कतई जरूरी नहीं है। ऐसी तमाम गैरजरूरी चीजों के आयात पर तत्काल प्रतिबंध की जरूरत है। इसी तरीके से और चीजें जो देश में बनती हैं, उनका भी आयात नहीं करना चाहिए। अनाज और दलहन की पैदावार देश में भारी मात्रा में है और हुक्मरान इसी के आयात में लगे हैं। यह तो देश के किसानों को मार डालने की साजिश है। विश्व व्यापार संगठन की ऐसी शर्तें स्पष्टतया गुलामी की शर्तें हैं। मोटरकारें देश में बनती हैं, इसके बावजूद उन्हें बाहर से आयात करना यहां के उद्योगों को तोड़ने के समान है। ज्यादा अच्छी मोटरकार बनाने के लिए तकनीकी सहयोग जरूर होना चाहिए परंतु पूरी की पूरी मोटरकार आयात करना हमारे देश को कभी नही सुहायेगा। इतना ही नहीं, साबुन जैसी चीजें भी आयात होने लगें तो पूरा देश ही भिखारी बन जाएगा और बेकारी विकराल हो जाएगी। यह सब इंसान समझ सके वैसी बातें हैं।

14.

कच्चे माल से पक्का माल गांव–गांव में तैयार हो. निर्यात मात्र पक्के माल के रूप में ही होना चाहिए

गांव में मूंगफली, कपास, अण्डी या जिस किसी चीज का उत्पादन हो, उससे पक्का माल बनाने की व्यवस्था छोटे पैमाने पर गांव–गांव में होनी चाहिए। मूंगफली के तेल की मिलें गांव गांव में होनी चाहिए और शहर के लोग तेल गांव से खरीदें। कपास की जिनिंग करके कपड़ा बनाने की तकनीकी प्रक्रिया गांव–गांव में हो। इसके लिए छोटे पैमाने पर आधुनिक से आधुनिक यंत्र गांव–गांव में लगाए जायें ताकि कपास में से कपड़ा गांव–गांव में तैयार हो जाए। अण्डी दाने में से अण्डी तेल गांव में ही तैयार होना चाहिए और उद्योगों को सप्लाई हो। गन्ने में से चीनी और गुड़ गांव में बनना चाहिए। इस तरीके से पक्का माल बन जाने के बाद शहर में जाए और शहर की जरूरत पूरी हो तभी निर्यात हो। ऐसी नीति लाने की मांग आजादी बचाओ आंदोलन की है।

15.

जो भी चीज आयात होती है वह देश में ही बनाने की नीति और व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए.

किसी भी देश को आर्थिक दृष्टि से मजबूत होना है तो उसे कम से कम आयात करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा निर्यात करना चाहिए। आयात कम करने के लिए जो कुछ आयात की चीजें हैं वे देश में ही कैसे बनें, उसके लिए खास व्यवस्था बनानी चाहिए। साथ ही ये वस्तुएं एक बार देश में बनना चालू हो जाएं तो आयात पर प्रतिबंध हो जाना चाहिए।

16.

स्थानीय स्तर पर अमीर लोगों के ऊपर केवल एक या दो कर ही लगाना

अभी गांवों के आर्थिक रूप से मृतप्राय हो जाने के बावजूद वहां लोहार, कुम्हार, मोची; बढ़ई जैसे लोगों के पास उत्पादन की कला व जानकारी है। ऐसे परंपरागत व्यवसायों को ज्यादा से ज्यादा आधुनिक बनाकर खेती व ग्रामोद्योगों को कैसे उपयोगी बनाया जाए और गांव की समृद्धि में ऐसे व्यवसाया

में जिस तरह बढ़ावा मिले, इसके लिए जरूरी तमाम प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इसके लिए बैंकों को कम से कम 20 प्रतिशत कर्ज ऐसे परंपरागत उद्योगों और व्यवसायों को ऊपर लाने के लिए देना चाहिए, उद्योगों के विकास के लिए इस तरह की नीति में जो कुछ भी कानूनी अड़चन हो, उसे दूर करना चाहिए और इनके उत्पादों का विक्रय शहर में हो सके, निर्यात हो सके इसके लिए व्यवस्थाएं बनानी चाहिए।

17.
भारतीय सनातन मूल्यों के विरुद्ध चली आ रही आर्थिक प्रवृत्तियों जैसे कि मांस का निर्यात और कत्लखानों पर तत्काल प्रतिबंध.

देवनार के एक कारखाने में रोज दस हजार पशुओं का कत्ल होता है। ऐसे छोटे–बड़े सैकड़ों–हजारों कत्लखाने देश में हैं और वहां से मांस का निर्यात होता है। इसी तरीके से देश की मूल्यवान खेती की जमीन में फूलों की खेती होती है और इसे यूरोप में विमानों के मार्फत निर्यात किया जाता है। यह सब भारतीय सनातन मूल्यों के विरुद्ध है। इसके ऊपर तत्काल प्रतिबंध की जरूरत है।

18.
छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग आदि स्वदेशी उद्योगों को संगठित करना व "स्वानंद" क्वालिटी मार्क की प्रक्रिया को प्रोत्साहन.

"स्वानंद" क्वालिटी मार्क आजादी बचाओ आंदोलन का रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क है और वह देश के छोटे कुटीर व मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से है। विदेशी कंपनियों के माल के सामने स्वदेशी उपभोक्ता वस्तुओं को प्रोत्साहन देने में "स्वानंद" क्वालिटी मार्क बेहद गर्व ही बात है। इसलिए पूरे भारत में कुटीर, लघु व मध्यम उद्योगों को स्वानंद की योजनाओं का लाभ मिले और देश में उच्चतम गुणवत्ता की स्वदेशी चीजें मिलती रहें, इसके लिए जरूरी तमाम प्रोत्साहन मिलने चाहिए।

19.
शून्य टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बेकारों को तालीम देकर उत्पादन–योग्य बनाना.

आज हर जिले में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सरकार ने स्थापित की है, परंतु ऐसी संस्थाओं में बड़े संयंत्रों के लिए जरूरी मजदूरों को तैयार करने का ध्येय होता है। ऐसे पाठ्यक्रम निकाल कर नये प्रकार के स्वतंत्र रोजगार छोटे पैमाने पर चल सकें और कृषि प्रक्रिया से जुड़े उद्योगों की जरूरी तालीम मिले, इस तरह का पाठ्यक्रम रखने की जरूरत है। तालीमयाफ्ता बेकार युवा स्वयं का स्वतंत्र उत्पादन, धंधा कर सकें और बड़े कारखाने के मजदूर न बनें। दंतमंजन, साबुन, मोमबत्ती, वेफर, कपड़ा, आयुर्वेदिक साधारण दवाओं जैसी चीजें गांव–गांव में बनाने के लिए आज की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में छोटे समय के पाठ्यक्रम चलाना चाहिए। इसी तरह से खेती की पैदावारों जैसे गुड़, चीनी, तेल, कपास वगैरह से जुड़े उद्योगों की तालीम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में दी जानी चाहिए। ऐसी संस्थाओं में बहुत सारे गैरजरूरी पाठ्यक्रम चल रहे हैं जो कहीं भी काम नहीं आते। मिसाल के तौर पर फिटर का कोर्स सब जगह पर चलता है, परंतु उसकी उपयोगिता कहीं भी नहीं है। इस तरह के गैरजरूरी कोर्स बंद करके लोकोपयोगी कोर्स होने चाहिए।

20.
आज की राष्ट्रीयकृत बैंकों पर दबाव डालकर 80 प्रतिशत कर्ज सिर्फ गांवों के कुटीर उद्योगों व लघु उद्योगों को देने की व्यवस्था.

ऐसा करने से देश की 80 प्रतिशत जनता का सही विकास होगा और गरीबी व बेकारी खत्म होगी। आम जनता का जीवन स्तर भी ऊंचा हो जायेगा। अभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास बहुत–सा पैसा है। इन तमाम पैसों का लाभ अरबपतियों और अब तो विदेशी कंपनियों द्वारा उठाया जा रहा है। इसके बदले इन संस्थाओं द्वारा 80 प्रतिशत ऋण ग्राम्य व कुटीर उद्योगों को देने का दबाव हो तो यह सब पैसा गांवों की ओर चला जायेगा और पैसे के अभाव में ग्राम्य कुटीर उद्योग का विकास रुका नहीं रहेगा। अभी इन पैसों का उपयोग देश का शोषण करने में, भुखमरी बढ़ाने में होता है। उसके बदले यह पैसा रोजगार में,

गांवों में, पूंजी निर्माण में और असमानता घटाने में काम आये। इससे देश का सही विकास होगा।

परंतु दीर्घकाल के लिए पैसों की ऐसी केंद्रीय व्यवस्था देश के लिए फायदेमंद नहीं है। करोड़ों लोगों की बचत का पैसा इनी–गिनी राष्ट्रीयकृत बैंकों के हाथ में ही आ जाए और उसका दुरुपयोग देश को चूसने के लिए हो, ऐसी व्यवस्था ही गलत है। इसलिए स्थानीय संस्थाओं द्वारा छोटी–छोटी स्वतंत्र बैंकों की स्थापना करनी चाहिए, जिससे गांव की बचत गांव में ही उपयोग में आए।

शिक्षा का स्वदेशीकरण

21

भारतीय शिक्षा के लिये नया पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए, जिससे विद्यार्थी जिम्मेदार नागरिक बनें और स्वयं का स्वतंत्र व्यवसाय कर सकें। स्वयं का व्यवसाय खुद के गांव में करके कमाने की क्षमता प्राप्त करें और नौकरी के पीछे न भागें। भारत के विश्वविद्यालयों से हजारों स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थी हर साल बाहर आते हैं। इनमें से कुछ वाणिज्य के डिग्रीधारक होते हैं। इन डिग्रीधारियों को कॉमर्स यानी व्यापार–धंधे का जरा भी व्यावहारिक ज्ञान नहीं होता है। जैसे कि किसी को एक से सौ तक गिनना या लिखना भी न आता हो फिर भी उसे गणित शास्त्र की डिग्री दे दी जाये। ऐसी ही दशा हमारे वाणिज्य स्नातकों की है। स्वतंत्र व्यवसाय करने की क्षमता उनमें बूंद भर भी नहीं है। बल्कि बड़ी कंपनियों और विश्व व्यापार के छद्म ख्यालों की बहुत अस्पष्ट झांकी लेकर वह बाहर आते हैं, जो व्यवहार जगत में कहीं भी काम नहीं आता। नौकरी के लिए भी वह लायक नहीं होते हैं। विद्यार्थियों की बात तो दूर रही, उनको पढ़ाने वाले प्रोफेसर जिंदगी भर अस्सी लाख रुपये का वेतन व पेंशन प्राप्त करते हैं, परंतु व्यावसायिक बाजार में दो हजार रुपये महीने की कमाई करने की क्षमता उनकी नहीं है। यह एक बहुत बड़ी विडंबना है। शिक्षा के नाम पर डिग्री प्रदान करना आज एक भयंकर झूठ और पाखंड हो गया है। पिछले 50 सालों में हिंदुस्तान के चौमुखी पतन का एक मुख्य कारण हमारी दिशाहीन और नाकारा शिक्षा व्यवस्था है। शिक्षा की कुछ खामियां स्पष्ट दिख रही हैं ;

(क) करोड़ों देशवासियों की जरूरत और आकांक्षा की पूर्ति आज की शिक्षा नहीं कर पा रही है। शिक्षा व्यावहारिक होनी चाहिए। हरेक नागरिक को उसकी रुचि के अनुसार प्रामाणिक व स्वतंत्र व्यवसाय की शिक्षा मिले। आत्मनिर्भरता के साथ उसमें रोटी प्राप्त करने की क्षमता हो और वह आत्म विश्वास भी प्राप्त करे। ऐसी व्यवस्था देश में न हो कि आम जनता कभी भी खुशहाल न हो। ऐसा देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता।

(ख) ऐसा लगता है कि पूरी शिक्षा पद्धति मुट्ठीभर अरबपतियों द्वारा लाखों गुलामों के जरिए पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चलाने और

देश का शोषण कहां करें, इसके लिए नित्य नये अवसर तलाशने के लिए बनायी गयी हो। आज की शिक्षा क्लर्की की शिक्षा है, यह सत्य है। वास्तव में जो मुक्ति दिलाए वही सच्ची शिक्षा है। इसका गूढ़ अर्थ तो आत्मा–परमात्मा तक पहुंचता है, परंतु स्थूल अर्थ भी लें तो जो शिक्षा स्वाभिमान के साथ स्वतंत्र रूप से आजीविका कमाना सिखाए; वही सच्ची शिक्षा है। वर्तमान शिक्षा पद्धति में ऐसी कोई बात नहीं है।

(ग) शिक्षा लेकर बाहर आने वाले युवक–युवतियों को तेजस्वी होना चाहिए। तेजस्विता हमारी शिक्षा का स्थायी भाव होना चाहिए। इस तरह की प्रार्थना शिक्षा संस्थानों में रोज की जाती है। परंतु शाला, कालेज, यूनिवर्सिटियों से बाहर निकलने वाले विद्यार्थियों में तेजस्विता कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती है। सद्‌गुण, सहिष्णुता, धार्मिकता, वीरता, त्याग, तपस्या, आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थाओं से बाहर आएं तो हिंदुस्तान की दीमक लगी व्यवस्था से निजात मिल जाए। लेकिन इसके बदले आज किसी भी तरीके से, नीति व अनीति का विचार किए बगैर किसी भी अच्छी जगह पर पद प्राप्त करने की कोशिशें चल रही हैं, जहां तनख्वाह के रूप में मोटी रकम मिले। ऐसी सोच सब जगह हो गयी है। अनीति से नौकरी करने में, अनीति से व्यवसाय करने में जरा–सा भी संकोच नहीं है। पर इसमें आज के युवाओं का दोष नहीं हैं वरन् इसकी जिम्मेदार आज की संपूर्ण शोषक व्यवस्था है जो दिलो–दिमाग पर काबिज है। सारा दोष व्यवस्था चलाने वाले राजनेताओं, पूंजीपतियों ओर नौकरशाहों का है। इन तीनों के गठबंधन का एक जबरदस्त स्थापित दुश्चक्र है और उसकी गुलामी में पूरा देश फंसा हुआ है। हमारी पूरी शिक्षा पद्धति इस स्थापित हित के लिए गुलाम पैदा करने का काम कर रही है और शिक्षा जगत खुद इस स्थापित हित का एक अंग बन चुका है।

इसका निदान क्या है? यह एक स्वाभाविक प्रश्न है। मुझे लगता है कि सबसे पहले आज के पाठ्यक्रमों में क्रांतिकारी परिवर्तन होना चाहिए और अभ्यास के बाद जीवन में सीधा–सीधा उपयोग हो ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। जिस शिक्षा का जीवन में कोई उपयोग न हो उसे त्याग देना चाहिए। 12 वीं क्लास तक विद्यार्थी

आत्मविश्वास पूर्वक स्वनिर्भर होकर शिक्षा ले सकें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए व्यावसायिक शिक्षा के ऊपर ही ध्यान देना जरूरी है। इसके लिए देश की वास्तविक स्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी है, जैसे कि–

(क) हमारा देश कृषि प्रधान है।

(ख) हमारे देश में मानव शक्ति बहुत है।

(ग) हमारे देश की ज्यादा से ज्यादा आबादी निर्धन है।

(घ) हमारे देश में 70 प्रतिशत जनता गांवों में है।

(च) हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी, बेकारी व भुखमरी है।

इन वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही शिक्षा पद्धति इस तरह बनानी चाहिए कि हमारी समस्याएं तत्काल खत्म हो जाएं। इसलिए तमाम जनता को स्वतंत्र व्यवसाय के जरिए काम मिले, कमाई हो, बेकारी घटे, गरीबी भुखमरी घटे, खेती का विकास हो, ग्रामोद्योग का विकास हो, रोटी–कपड़ा–मकान सबको मिले और इन बुनियादी जरूरतों के लिये सरकार के ऊपर निर्भर न रहना पड़े। इतना जनता का स्वावलंबन हो, जिसमें सरकार की दखल न चल सके। इस ध्येय को नजर के सामने रखकर हमारी शिक्षा में मूलभूत फेरबदल होना चाहिए। कृषि हमारा प्रमुख व्यवसाय है। इसलिए कृषि उपज का व्यवसाय, यह विषय सभी स्कूलों में आवश्यक होना चाहिए। उसमें कृषि उपज के आंकड़े, अपने गांव में, तालुके में, जिले में, राज्य में और पूरे देश में कितना उत्पादन कौन–सी चीज का है यह सब अवश्य पढ़ाया जाना चाहिए। एक एकड़ में कितना उत्पादन हुआ, उसका क्या भाव आया, यह कहां उपयोग में आता है, कहां जाता है व किस तरह जाता है–बैलगाड़ी में, रिक्शे में, ट्रेक्टर में–अंत में परिवहन खर्च कितना लगता है, मार्केट यार्ड की सब व्यवस्था, उसके नियम, उसका काम करने वाले शहर में जो व्यापार–उद्योग का संगठन है, ऐसोसिएशन, खेती की पैदावार पर सरकारी कर, म्युनिसिपल कर, संगठित व्यापार और उसके संस्थाओं की कार्य पद्धतियां, क्रय–विक्रय के नियम और तरीके, दलाल और उनकी सेवाएं, सरकारी नियंत्रण और उसके द्वारा किसानों का शोषण, आवश्यक वस्तुओं का कानून और उसके द्वारा हो रही जनता की गुलामी व बदहाली; यह सब माध्यमिक स्कूलों में विस्तारपूर्वक पढ़ाया जाना चाहिए। विद्यार्थी रोज शाम को पढ़कर जब घर आए तो तुरंत उसका ज्ञान उसके पिता के काम आ सके ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। विद्यार्थी 12 वीं पढ़कर

बाहर निकले तो उसको इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि खेती की पैदावार के व्यापार में वह तुरंत काम कर सके और स्वयं का गुजारा, कमाई कर सके। इस तरह उसको कालेज में पढ़ने की आवश्यकता ही न हो।

दूसरा महत्व का विषय यह है कि खेती की प्रक्रिया में तथा उसकी पैदावार से संबद्ध कौन–कौन से प्रकार के उद्योग चल रहे हैं, वह खासतौर पर पढ़ाना चाहिए। गेहूं का आटा, गेहूं पीसने की घंटियां, चने के आटे की मिलें, अरहर दाल की मिलें, तेल मिलें, कपास की जिनिंग, रुई में से कपड़ा बनाने की प्रक्रिया, गन्ने से गुड़ व चीनी बनाने की प्रक्रिया, उसमें उपयोग होनी वाली मशीनों का अभ्यास, कीमत, उत्पादन क्षमता, तमाम जानकारियां जैसे कि एक एकड़ में कितने टन गन्ना आता है, उससे कितना पाक निकलेगा, उसमें से कितना गुड़ चीनी बनता है व कितना चूरा निकलता है, एक किलो रुई की क्या कीमत मिलती है, एक किलो कपड़ा बनने से उसकी कीमत कितनी बढ़ती है और क्यों बढ़ जाती है; कौन कौन से खर्च होते हैं, सरकारी कर हर उद्योग पर कितना है, गांवों में छोटे पैमाने पर हर चीज बनाने पर कितनी सस्ती पड़ती है, वगैरह सब शास्त्रीय ज्ञान इस विषय में आना ही चाहिए। अभी इससे उल्टा ही ज्ञान देने में आ रहा है। बड़े पैमाने के केंद्रित उत्पादन सस्ते पड़ते हैं और यह अर्थशास्त्र का सर्व स्वीकृत सिद्धांत है, ऐसी बातें दिमाग में ठूंसी जाती हैं। यह विषय इतने बड़े महत्त्व का है कि अगर इसे व्यवस्थित तरीके से सभी को पढ़ाया जाए तो 15 से 20 साल में पूरे हिंदुस्तान में जबरदस्त आर्थिक क्रांति आ जाए और उसमें अनेक स्थापित हित टूट पड़ें व गांव खूब समृद्ध बन जाएं। बहुत कम लोग इस सत्य को समझ सकते हैं।

तीसरा महत्त्व का विषय है लघु उद्योग। इसमें कलात्मक उत्पादन के भांति–भांति के उद्योग, आटोमोबाइल्स का उद्योग, ईंट–चूना–सीमेंट–टाइल–कंक्रीट बनाने के उद्योग, लकड़ी के विभिन्न उद्योग, गृह निर्माण, प्लास्टिक,परिवहन, खेती के उपकरण बनाने के उद्योग ऐसे सौ प्रकार के उद्योगों का विस्तृत ज्ञान देना चाहिए। इन विषयों को पढ़ाने के लिए कोई एक शिक्षा काम में नहीं आती है इसलिए इस तरह के उद्योग चलाने वाले ही सिखाने के लिए आएं, ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। इनकी किताबें तैयार करना भी ज्यादा कठिन नहीं होगा। बेशक बहुत से लोगों को मिलकर तैयार करना पड़े।

ये तीनों विषय बहुत महत्त्व के हैं और बारहवीं कक्षा तक इन्हें बहुत विस्तार से पढ़ाया जाना चाहिए। आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके टी.

वी. और वीडियो कैसेट के जरिए इन तीनों विषयों का ज्ञान देना चाहिए। इन तीनों विषयों का सुव्यवस्थित अध्ययन किए हुए विद्यार्थी नौकरी तलाशने के लिए निकलेंगे ही नहीं। वे स्वयं का व्यवसाय करने की काबिलियत हासिल कर चुके होंगे। ये विषय विस्तार से पढ़ाने के लिए आज के विषयों को हटाना पड़ेगा या उन्हें संक्षिप्त करना पड़ेगा। गणित शास्त्र खूब अच्छी तरह पढ़ाना चाहिए। खेल कूद का मैदान या स्टेडियम बनाने की बातें न हों वरन् खेत में कुछ भर्ती करनी हो तो कितने ट्रेक्टर मिट्टी चाहिए, ऐसी व्यावहारिक चीजें पढ़ानी चाहिए।

इतिहास, भूगोल और शुद्ध विज्ञान के सिंद्धात गैरजरूरी लगें तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। पढ़ने के बाद अंत में काम में आये, उपयोगी हो, ऐसा ज्ञान देना चाहिए। इसका अर्थ कोई यह न लगाए कि उच्च शिक्षा की जरूरत नहीं है। उच्च शिक्षा की जरूरत है और वह ज्यादा समृद्ध होनी चाहिए। परंतु जनता के 80 प्रतिशत लोग 12 वीं कक्षा तक ही पढ़ेंगे व बहुत कम लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। कालेज भी कम होंगे और जो पढ़ेंगे वह सचमुच पारंगत होंगे। उच्च शिक्षा में तो विशिष्ट ज्ञान होना चाहिये। इस ज्ञान का उपयोग करने वाला वर्ग भी विशिष्ट होगा। इसलिए ऐसे विशिष्ट ज्ञान की उच्च कक्षाओं को चलाने की जवाबदारी भी सरकार की होनी चाहिये। सरकार गरीब वर्ग पर निर्दयतापूर्वक कर डालकर उसमें से अपना कारोबार चलाती है। इसलिये गांधीजी ने समझाया है कि जिस विशिष्ट वर्ग को विशिष्ट ज्ञान की जरूरत है, उसका कालेज भी वही लोग चलायेंगे। जैसे कि निर्यात–आयात का ज्ञान देने वाला कालेज निर्यात–आयात की एसोसिएशन या फेडरेशन या ऐसी ही कोई संस्था चलाये। दवा बनाने वाली कम्पनियों की संस्था फार्मेसी कालेज चलाये। गांधीजी की यह सलाह अत्यंत व्यावहारिक है। उद्योग धन्धा चलाने वाले खुद की जरूरतों के अनुसार कालेज चलायें तो उसमें आधुनिक से आधुनिक ज्ञान देने की व्यवस्था होगी क्योंकि उसके स्नातक अपने यहां ही काम करने वाले हैं, यह समझदारी होगी।

शिक्षा के ऊपर जब तक सरकारी अंकुश है तब तक कान्तिकारी फेरबदल संभव नहीं है क्योंकि शिक्षकों का, अध्यापकों का स्थापित हित सरकार के साथ जुड़ा हुआ है। वेतन के रूप में मोटी रकम लेना ही है। इसके बावजूद समाज के प्रति जवाबदारी कुछ नहीं है और न कभी होगी। यह पूरी शिक्षा व्यवस्था सरकार व स्थापित हितों से मुक्त होनी चाहिए और सामाजिक नियंत्रण में आनी चाहिये। एक अच्छा विकल्प शिक्षा का निजीकरण है। अभी जो ट्यूशन

क्लास चल रहे हैं, उन्हें मान्यता दे देनी चाहिये। जिस विद्यार्थी को दो जगह पर पढ़ना हो वह पढ़े। धनवान अपनी व्यवस्था खुद बना ले तो उसमें सरकार को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। गरीब विद्यार्थियों की फीस सरकार को देनी चाहिए। शिक्षा निजी हो तो उसमें होशियार शिक्षक अपना स्कूल स्थापित करके भले ही लाखों रुपये कमा लें, परंतु अयोग्य और गैर जिम्मेदार शिक्षकों को निकाल बाहर कर देना चाहिए। ऐसे शिक्षकों का स्थापित हित टूटना ही चाहिए। अगर शिक्षा का निजीकरण हो और वह सरकारी अंकुश से मुक्त हो तो जो स्कूल व्यावहारिक ज्ञान देगा उसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा होगी। जिस स्कूल के शिक्षक ज्यादा से ज्यादा चरित्रवान व कर्मशील होंगे उसी स्कूल की साख ज्यादा होगी। यदि सरकार का अंकुश और दखल शिक्षण क्षेत्र से हट जाए तो अयोग्य शिक्षकों का करोड़ों रुपयों का खर्च कम हो जाए। शिक्षकों की तनख्वाह उनकी योग्यता और निष्ठा के मुताबिक अपने–आप बन जायेगी। क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है यह तमाम बातें स्कूल स्वयं ही तय करेंगे। विषय व पाठ्यक्रम भी स्कूल ही तय करेंगे। इससे स्कूली बच्चों में स्वस्थ प्रतियोगिता होगी और उत्तम व्यवहारों वाली जीवनोपयोगी शिक्षा हासिल होगी।

हर स्कूल में धार्मिक शिक्षा भी अवश्य होनी चाहिए, ऐसा गांधीजी का आग्रह था। तमाम हिंदुओं को गीता, तमाम मुसलमानों को कुरान और तमाम ईसाइयों को बाइबिल पढ़ाना ही चाहिए। धार्मिक शिक्षा के बगैर जीवन का उद्देश्य उल्टे रास्ते पर चला जाता है। सद्‌गुण प्राप्त करने के लिए धार्मिक शिक्षा अनिवार्य है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य चरित्र निर्माण है। ऐसा चरित्र धार्मिक शिक्षा बगैर संभव नहीं है। धार्मिक शिक्षा के अभाव में पूरे देश की स्थिति सागर के तूफान में फंसी हुई बगैर मल्लाह के नाव जैसी हो जाती है। हमारा देश ध र्मनिरपेक्ष है। इसका उल्टा अर्थ लिया जाता है। सेक्यूलर का अर्थ सर्वधर्म समभाव युक्त होना चाहिए, उसके बदले इसका अर्थ धर्महीन हो गया है। नास्तिक भारत की कल्पना भयंकर है।

आज की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम वाली है। कोई भी राष्ट्र दूसरों की भाषा में अपनी अस्मिता नहीं बना सकता। अभी भी अंग्रेजी जानने वालों की संख्या तीन प्रतिशत से ज्यादा नहीं है। फिर भी तमाम विषय बालक को पहले से ही अंग्रेजी में सिखाने का मोह है। यह बड़ा अनिष्टकारी है। बालक पर भारी अत्याचार हो रहा है। उसकी बुद्धि कुंठित हो जाती है। वह धारा प्रवाह व

फर्राटेदार अंग्रेजी तो बोलने लगता है परंतु वह कोई साध्य नहीं है। भाषा तो साधन है। अंग्रेजी की पढ़ाई वैचारिक शक्ति को मंद करती है। साहस करने की शक्ति कम हो जाती है। आम लोगों के साथ वे घुल मिल नहीं सकते। वे खुद को श्रेष्ठ और दूसरों को निम्न मानते हैं। गहन व गूढ़ विषयों को समझने की बौद्धिक तीव्रता उनमें कम हो जाती है। शुरूआत से ही अंग्रेजी में पढ़ना अवैज्ञानिक और जंगली है। दुर्भाग्य से यह मोह शहरों में बहुत व्यापक है। अंग्रेजी के मोह में बहुत सारे चक्कर पड़ते हैं। मोहवश अभिभावकों का झुकाव अंग्रेजी स्कूलों के लिए ज्यादा है परंतु सरकार को इसे प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ऐसा किसी देश में नहीं है।

22.
अंग्रेजी में बनाए हुए नाकारा विषयों को निकालना और उसकी जगह पर नये विषय लाना

क्रिकेट जैसी शिक्षा की हमारे यहां जरूरत नही है। उसके बदले गांवों में खेती की पैदाइश कैसे होती है, उसमें से पक्का माल बनाकर किस तरीके से व्यवसाय, उद्योग खड़ा कर सकें ऐसे विषय होने चाहिए। आज के कामर्स कालेजों में देश को लूटकर बड़ी कंपनियां कैसे मालामाल हो जायें, यह पढ़ाया जाता है। इसे तत्काल बंद करके सारे देश में नाना प्रकार के लघु, गृह उद्योग के जरिए कैसे व्यवसाय खड़ा कर सकें, इस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और एक विषय के रूप में अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान देने की व्यवस्था करनी चाहिए।

23.
शिक्षा का अर्थ तय करना चाहिए व शिक्षा और ज्ञान में अंतर स्पष्ट होना चाहिए.

आज शिक्षा और ज्ञान में कोई अन्तर नहीं रह गया है। दोनों की परिभाषा में स्पष्टता नहीं रह गयी है। आज अधिकतम जानकारी और शिक्षा जिसके पास है उसी को बुद्धिमान मान लिया जाता है भले ही उसमें विवेक और समझ जरा–सा भी न हो। जबकि ज्ञानी व्यक्ति विवेक और समझ के साथ

निर्णय ले सकता है। ज्ञान हमें अंतः विवेक की ओर ले जाता है जबकि आज की शिक्षा ठीक इसके उल्टी दिशा में ले जाती है। हमें हमारे स्कूलों में ज्ञान की शिक्षा देनी है।

24
माता—पिता अपने बालक को अपने पड़ोस के अथवा सर्वाधिक निकटवर्ती स्कूल में पढ़ायें.

आज धनवान और निर्धनों की अलग—अलग शालायें हैं। यह प्रथा खत्म होनी चाहिए। धनवान और निर्धन बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ सकें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। महंगी और अनावश्यक तामझाम वाली शालाओं के ऊपर प्रतिबंध होना चाहिए।

25
किसी विद्यार्थी को विशिष्ट प्रकार की शिक्षा की जरूरत हो तो उसके लिए आश्रम—शाला (गुरुकुल) होना चाहिए

सामान्य शिक्षा के लिये तो स्थानीय स्कूल होंगे परन्तु विशिष्ट प्रकार की शिक्षा के लिये तो गुरुकुल ही होने चाहिये जिनमें विद्यार्थी रहकर अपनी इच्छानुसार अध्ययन कर सकें।

26
शिक्षकों और अध्यापकों को अपना गुरुकुल बनाना चाहिए तथा उसे समुचित प्रोत्साहन मिलना चाहिए

शिक्षकों और अध्यापकों को अपने—अपने विषयों से संबंधित गुरुकुल बनाने चाहिये जिस तरह कि अंग्रेजों के समय में हमारे देश में चला करते थे। 150 वर्ष पूर्व तक हमारे यहां उच्च शिक्षा के हजारों केन्द्र चला करते थे और पूरे देश से विद्यार्थी वहां पढ़ने के लिये आया करते थे। आज पुनः इस प्रकार के केन्द्रों की आवश्यकता है ताकि सरकारों पर अतिरिक्त भार न पड़े।

स्वास्थ्य व्यवस्था का स्वदेशीकरण

27

भारतीय चिकित्सा पद्धति जैसे कि आयुर्वेद, योग, मालिश, व्यायाम, एक्यूप्रेशर को प्रोत्साहन; इसमें मदद करने वाली दूसरी सहयोगी चिकित्सा पद्धतियों जैसे होम्योपैथी, यूनानी वगैरह को यथोचित प्रोत्साहन। जहां पर जरूरी हो वहां एलोपैथी का प्रचार।

आयुर्वेद का प्राथमिक ज्ञान हाई स्कूल कक्षा से एक विषय के रूप में देना खासतौर पर जरूरी है। 25 – 50 वनस्पतियों को पहचानने तथा वे कौन–से रोग में उपयोगी हैं, इस हद तक ज्ञान हर विद्यार्थी को देना चाहिए। महज इतना ही करने से देश में डॉक्टरों की जरूरत आधी रह जायेगी।

28

भारतीय समाज के सभी लोगों के स्वास्थ्य की आंतरिक आवश्यताओं की पूर्ति हो सके ऐसे सामाजिक स्वास्थ्य केंद्रों का विकास

29

हर गाँव या नगर में चिकित्सा के लिए ऐसी व्यवस्था हो जिसमें धनवान व निर्धन सभी को समान अवसर हों। धनवानों के लिए महंगे अस्पताल अलग से न रहें.

आज अमीरों के लिये महंगे और अच्छे अस्पतालों की सुविधा तो है परन्तु गरीबों के लिये ईलाज की कोई सार्वजनिक सुविधा न होने के कारण बड़े–बड़े निजी अस्पताल उनका पैसा चूसते हैं लेकिन गरीब लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिये सभी के लिये एक समान अस्पताल होने चाहिये।

कृषि व्यवस्था का स्वदेशीकरण

30

भारतीय ग्राम समाज में मिलने वाले गोबर, गौमूत्र और अन्य जैविक पदार्थों से सेंद्रीय खाद बनाना चाहिए.

फर्टिलाइजर के कारखानों को जो सहूलियत व सबसिडी मिलती है, वह बंद होनी चाहिए। पिछले पचास सालों में रासायनिक फर्टिलाइजर को प्रोत्साहित करके सरकार ने भारत की खेती का भारी नुकसान किया है। हमें इस बात का पूरा अनुभव मिल चुका है कि रासायनिक खाद आगे चलकर लंबे समय के लिए नुकसानदेह हैं और ये जमीन की उर्वरता को खत्म कर देते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा खाद डालते हुए भी प्रति एकड़ उत्पादन कम हो रहा है। इसके बदले हमारा गोबर खाद, सेंद्रीय खाद उत्तम है, यह साबित हो चुका है। इसलिए रासायनिक खादों को किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए और सेंद्रीय खाद को तमाम प्रकार के प्रोत्साहन मिलने चाहिए। ताजातरीन शोधों के मुताबिक एक किलो गोबर में से 30 से 35 किलो जितना ही गुणकारी सेंद्रीय खाद बन सकता है। इस तरह तमाम ग्रामवासियों को अवकाश के समय में सेंद्रीय खाद बनाने में लगाया जाए तो भारत में सेंद्रीय खाद का करोड़ों–अरबों टन उत्पादन हो सकता है और भारत की तमाम खेती सेंद्रीय खाद से अत्यंत उपयोगी व समृद्ध हो सकती है। साथ ही इससे जमीन की उर्वरता भी खूब बढ़ जायेगी और प्रति एकड़ उत्पादन पूरे विश्व में हम उच्चतम ले सकते हैं। इतनी बड़ी संभावना हमारे देश में है परंतु उसका उपयोग किया नहीं जाता। ऐसा करने के लिए रासायनिक खाद के ऊपर प्रतिबंध होना चाहिए और एक किलो गोबर से 30 किलो सेंद्रिय खाद बनाने की पद्धति का खूब जोर–शोर से गांव गांव में प्रचार करके ऐसी खाद करोड़ों और अरबों टन बनाने की व्यवस्था करना जरूरी है।

31

भारतीय ग्राम्य समाज में उपलब्ध गौमूत्र, नीम और दूसरी वनस्पतियों का उपयोग करके कुदरती कीटनाशक दवाएं

बनाना और वही खेत में उपयोग करना तथा पेस्टीसाइड्स के कारखाने पर प्रतिबंध.

आधुनिक खेती में रासायनिक कीटनाशकों ने खेती का सत्यानाश कर रखा है। अभी भारत में हर साल 20 हजार करोड़ रु. की कीटनाशक दवाएं किसान उपयोग करता है। यानी किसानों के घरों में से बेशकीमती 20 हजार करोड़ रु. कीटनाशकों के रूप में चले जाते हैं। इसलिए किसान बदहाल हो जाता है और बहुत सारे किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती है। रासायनिक दवाओं के कारण जमीन का नाश होता है सो अलग और उत्पादन भी कम होता है। कीटनाशक दवाओं वाला खाद्य पदार्थ खाने से तमाम लोगों को कैंसर जैसी बीमारी भी हो जाती है। इसलिए दवाओं में और डाक्टरों पर काफी पैसे खर्च हो जाते हैं। इस प्रकार के दुश्चक्र में भारत के किसान और भारत की जनता फंस गयी है। आजादी बचाओ आंदोलन कृषि का स्वदेशीकरण कर इस जहरचक्र को तोड़ डालना चाहता है। यह कार्य सचमुच कठिन नहीं है, क्योंकि महंगे रासायनिक कीटनाशक दवाओं के बदले स्थानीय वनस्पतियों से घर में कीटनाशक दवाएं बिल्कुल मुफ्त में बना लेना सरल है और हर किसान बहुत कम खर्च में यह कर सकता है। वनस्पतियों से घर में बनने वाली कीटनाशक दवाएं किसानों द्वारा खुद बनाने के तरीके का वृहत् प्रचार होना चाहिए। यह बहुत जरूरी है। ऐसा हो तो किसान ऐसी दवाएं खुद बनाकर लाखों करोड़ों रुपयों के शोषण से बच सकते हैं। अपनी खेती की जमीन को खराब होने से बचा सकते हैं और जनता को कीटनाशक वाली सब्जी, भाजी, अनाज, फल, दलहन से जो कैंसर होता है, उससे बचा सकते हैं।

32

पहाड़ों में से मिलने वाले पत्थर तथा अन्य स्थानों से मिलने वाली प्राकृतिक मिट्टी में जो खनिज तत्व हैं उनका उपयोग कृषि में होना चाहिए

33

खेती के काम में जरूरी साधन–उपकरण आदि बनाने के

लिए लोहार, बढ़ई वगैरह लोगों को प्रोत्साहन मिले ऐसी नीति

34

भारतीय कृषि परंपराओं में उपयोगी हो ऐसे बीज का संरक्षण और पुनर्गठन

बीज को पवित्र वस्तु मानने की परंपरा भारत में थी। उसकी खरीद–बिक्री नहीं होती थी। मित्र परिवार और सगे–संबंधी से लेन–देन करके आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। अक्सर किसान अपना बीज स्वयम् चुन–चुन कर रखते थे।

1960 से हरित क्रांति के दौर में जहां पहले भारत में 40 हजार धान की, चार हजार गेहूं की, एक हजार आम की किस्में थी वे अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों को तरजीह देने के कारण एक दर्ज तक सिमट गई हैं। इसलिये हमें अपने पारम्परिक बीजों की सुरक्षा और उत्पादन करने ही होंगे।

35

देशी बीज मिलें ऐसे 25–50 गांवों के समूह में बीज का उत्पादन व वितरण की सुविधा।

36

खेती का पारंपरिक ज्ञान जो भारतीय किसानों को है, उसका संकलन और प्रचार तथा भारतीय भाषाओं में प्रकाशन

राजनैतिक और प्रसाशनिक व्यवस्था का स्वदेशीकरण

37
संविधान में संशोधन

अभी की सरकारें जनविरोधी, जनता का शोषण करने वाली और उन्हें तकलीफ देने वाली संस्थाएं बन चुकी हैं। आज की लोकशाही में लोगों की आकांक्षाओं की आवाज नहीं पहुंच सकती और संविधान की मूल भावना प्रशासन के काम काज में कहीं भी दिखती नहीं है। पचास सालों के अनुभव से यह स्पष्ट हो गया है कि संविधान लोगों की अपेक्षाओं में खरा साबित नहीं हो पाया है, इसलिए लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप कामकाज चले इसके लिए सरकार के ऊपर कड़े नियंत्रण की जरूरत है। इसके लिए संविधान को नये सिरे से बनाने की जरूरत है। यह विषय बहुत गंभीर व गहन है और इस पर पूरी किताब लिखना जरूरी है, परंतु इस नये संविधान में सरकार के ऊपर नियंत्रण के लिए कड़े कानून होने चाहिए।

अ. सरकारों के ऊपर नियंत्रण

केंद्र सरकार, राज्य सरकार या जिला पंचायतों सहित स्थानीय स्वराज की संस्थाओं के ऊपर निम्नलिखित संवैधानिक व्यवस्थाओं का नियंत्रण होना चाहिए

1) भारत सरकार या राज्य सरकार कोई भी कानून बनाए तो जब तक ग्राम सभा या म्यूनिसिपल स्वीकार न करे तब तक वह कानून गांव या शहर में लागू न हो। (अभी भारत के लाखों गांवों की आर्थिक – सामाजिक परिस्थिति के विषय में जिन्हें तिल भर भी जानकारी नहीं होती है, ऐसे अधिकारी दिल्ली में बैठकर कोई भी बिल संसद में रख दें और वह कानून बन जाए तो पूरे देश की जनता परेशान हो जाती है। इसे बंद करना निहायत जरूरी है)

2. कोई भी सरकार अपने कर्मचारियों पर तनख्वाह व प्रवास, वाहन,

घर, भत्ता आदि के लिए जी.डी.पी. के पांच प्रतिशत से ज्यादा खर्च न कर सके। (अभी काफी सरकारों की आवक करीब करीब वेतन में ही खत्म हो जाती है। यह आवक गरीबों को लूटकर प्राप्त की हुई होती है और कर्मचारियों का जीवन स्तर टेक्स भरने वाले लोगों के जीवन स्तर से कई गुना ऊंचा है। इसलिए गरीबों को लूटकर बड़े लोगों को पोसने का काम अभी की सरकारें कर रही हैं। विकास के नाम पर यह सब चलता है और विकास केवल स्थापित हितों का होता है। सरकारी नौकरी ज़बरदस्त स्थापित हित हो चुका है, इसलिए इस पर नियंत्रण जरूरी है।)

3. कोई भी सरकार खेती की किसी भी प्रकार की पैदावार के ऊपर कोई भी कर डाल न सके न ही जीवनोपयोगी वस्तु पर किसी भी प्रकार का कर हो। (अभी जीवनोपयोगी व कृषि–वस्तुओं पर भारी कर है। यह गरीबी बढ़ाने का काम करता है। जिससे आम जनता का शोषण हो ऐसा किसी भी प्रकार का कर डालने का अधिकार सरकार को न हो।)

4. कोई भी सरकार कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए अखिल भारतीय स्तर की या राज्य स्तर की सेवा का कैडर न बना सके। (आज अमुक ओहदों पर आइएएस अधिकारी ही हों, ऐसी व्यवस्था है, पर कोई व्यक्ति इनसे भी ज्यादा कुशाग्र हो तो उसे उनकी जगह पर बिठाने की कोई व्यवस्था नहीं है, यह सब स्थापित हित खत्म होना ही चाहिए)

5) किसी भी सरकारी नौकरी में किसी भी व्यक्ति को तीन साल से ज्यादा नहीं रखा जा सके। (संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। किसी भी व्यक्ति का जीवन स्थिर नहीं है। संपूर्ण जगत प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। ऐसी स्थिति में स्थायी नौकरियों से स्थापित हित खड़े होते हैं और सही काम नहीं होते। इसलिए तीन साल से ज्यादा अवधि के लिये किसी का भी चयन नहीं होना चाहिए। अगर व्यक्ति अच्छा काम करे तो उसका बार–बार चयन हो सकता है। गलत और अयोग्य आदमियों को काम काज से निकालने के लिए यह व्यवस्था जरूरी है।)

6. कोई भी सरकार संविधान में लिखे हुए मार्गदर्शक सिद्धांत के

विरुद्ध कोई काम न कर सके। मार्गदर्शक सिद्धांतों को अनिवार्य आदेश समझना होगा और उसका पालन न हो तो सरकार इस्तीफे के लिए बाध्य हो। (अभी मार्गदर्शक सिद्धांतों की पूरी तरह अवहेलना करने वाली सरकार का भी कुछ नहीं होता है। संविधान की व्यवस्था बूढ़ी हो चुकी है। सरकार मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन न करे तो उसे निकाल बाहर करने की संविधान में व्यवस्था होनी चाहिए।)

8. कोई भी सरकार किसी भी किसान से उसकी जमीन ग्राम सभा की सहमति के बगैर नही ले सकती। (अभी बिना किसी प्रयोजन के पीढ़ियों से चली आ रही खेती योग्य भूमि पानी के भाव कृषकों से खरीद ली जाती है। ऐसा करना स्वराज्य की कल्पना से बाहर है।)

9. कोई भी सरकार जनता के जीवन में आमूल परिवर्तन करे, ऐसा कोई भी निर्णय वह मनमाने ढंग से नहीं ले सकती। ऐसा करने के लिए लोकमत आवश्यक है। (अभी सरकार डब्ल्यू.टी.ओ. की सदस्यता लेकर 100 करोड़ जनता के साथ दगा कर रही है और विदेशियों के हित में काम करते हुए देश के लोगों से पूछना तो दूर रहा वह हाड़ मांस के बने स्वार्थी सांसदों से भी पूछना जरूरी नहीं समझती। इतना खतरनाक अधिकार सरकार के पास है कि वे देश को बेच सकते हैं और गुलाम बना सकते हैं। इस तरह का कोई भी अधिकार सरकार के पास नहीं होना चाहिए।)

10. कोई भी सरकार अंतरराष्ट्रीय समझौता निम्न शर्तों के पालन के बाद ही लागू कर सकती है : करार का मसौदा तमाम राज्यों की विधानसभाओं में, कोई भी दो सौ जिला पंचायतों में और प्रत्येक जिले की 100 ग्राम सभाओं में मंजूरी हेतु भेजा जाए। (इतना नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय समझौतों के लिए होना चाहिए।)

11. कोई भी सरकार ग्राम सभा की सर्वानुमति के बगैर चरागाह जमीन, खराब पड़ी जमीन और वन भूमि को बेच नहीं सकती। (वर्तमान में सरकारें बड़े उद्योगों के लिए भ्रष्टाचार करते हुए सारे नियमों को ताक में रखकर गांवों की ऐसी जमीनों को बेच देती है। यह जानकारी होना बहुत जरूरी है।)

12. कोई भी सरकार सरकारी कर्मचारी को तमाम भत्तों के साथ 20

हजार रुपयों से ज्यादा वेतन न दे। (अभी अधिकारियों व सरकारी नौकरों की तनख्वाह आसमान छू रही है, उस पर रोक लगाना जरूरी है। यह नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान की पचास करोड़ जनता को ठीक से खाने को नहीं मिलता तो ये लोग घी क्यों खाएं ?)

13. कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने कार्यकाल में स्वयं का भवन न बना सके। (अभी गरीब जनता को चूसकर वे आलीशान भवन बनाते हैं और कई बार अपने लिए अलग से रिहायशी क्षेत्र विकसित कर लेते हैं। यह सब आम गरीब जनता के पैसों से ही होता है और वे जनता से कटते जाते हैं। जबकि हकीकत यह है कि उन्हें जनता के बीच आम जनता के जैसे ही मकानों में रहना चाहिए। इस व्यवस्था का खात्मा जरूरी है और आम जनता को भी इसे समझना चाहिए।)

14. कोई भी सरकार सरकारी कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए कोई नियम या योजना नहीं बना सकती। (गांधी नगर जैसे शहरों में कृषकों से पानी के मोल जमीन लेकर सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को दी गई, जबकि उसका बाजार मूल्य ज्यादा था। ऐसे स्थापित हितों को तोड़ना जरूरी है।)

15. कोई भी सरकार मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगे ऐसा कोई नियम नहीं बना सकती।

    अपवाद : (क) संपत्ति का मूल्यांकन कोई भी सरकार कर सकती है।

    (ख) खेतिहर जमीन का मूल्यांकन कोई भी ग्राम सभा कर सकती है।

16. कोई भी सरकार रुपये का अवमूल्यन नहीं कर सकती। (आज के वैश्वीकरण और उदारीकरण के दौर में विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं अन्य संस्थाओं के दबाव में आकर हमारे देश की सरकारें रूपये का अवमूल्यन करती रहती हैं। जिसके कारण भारत के ऊपर विदेशी कर्जा बढ़ता है और कर्जे का दिये जाने वाला ब्याज भी बढ़ता रहता है। दूसरी ओर अन्तरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय वस्तुओं की कीमत गिरती है और बाहर के देशों से

आयात की जाने वाली वस्तुयें महंगी होती जाती हैं। इस कारण देश को दोहरा आर्थिक नुकसान होता है।)

17. कोई भी सरकार देश के लोगों की अनुमति के बिना विदेशी कर्ज नहीं ले सकती। देश के लोगों की अनुमति संसद/विधानसभा और ग्रामसभाओं के माध्यम से ली जा सकती है। (आज के समय सरकार जब चाहे तब अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं से कर्जा लेती रहती है और मनमाने तरीके से उसे खर्च करती है। जिसका भुगतान (ब्याज के साथ) देश के लोगों को अपने खून–पसीने की कमाई में से करना पड़ता है। उदाहरण के लिये यदि हमारा कोई पड़ोसी हमारे नाम पर किसी से कर्जा ले और फिर उस पैसे को अपने मन से कहीं भी खर्च करे। जब कर्जा लौटाने की बात हो, तो हमें कर्ज वापस करना पड़े, ब्याज के साथ, ऐसी परिस्थिति हमें बिल्कुल ही पसंद नही होगी। लेकिन आज हमारे देश की सरकार यही कर रही है। यही आज की गुलामी है।)

18. किसी भी सरकार को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अपने पक्ष में या विदेशी कम्पनियों के समर्थन में दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। (आज हमारे देश के टी.वी. चैनलों को सरकारी भोंपू बना दिया गया है। ये टी.वी. चैनल देश की जनता को मूर्ख बनाने का कार्य करते हैं और पैस के लिये विदेशी कम्पनियों का झूठा और गलत विज्ञापन करके लोगों को गुमराह करते हैं।)

19. कोई भी सरकार भारत में किसी विदेशी बैंक को व्यापार करने की खुली छूट नहीं दे सकती है। किसी विशेष परिस्थिति में पूरे देश में एक या दो शाखायें विदेशी बैंक की खोली जा सकती हैं। लेकिन भारत के हरेक बड़े शहर में ये शाखायें खोलने की अनुमति नहीं होगी।

20. भारत में किसी विदेशी बीमा कम्पनी को भी कारोबार करने की इजाजत कोई सरकार नहीं दे सकती। (हमारे देश में जितनी जरूरत है, उतना बीमा का कारोबार करने में भारतीय कम्पनियां सक्षम हैं। विदेशी बीमा कम्पनियों के आने से भारतीय लोगों के बीच में उसी तरह की मानसिकता बनाने की कोशिश की जायेगी

जो मानसिकता यूरोपीय–अमरीकी लोगों में है। यूरोप और अमरीका में लोगों को बिना बीमा के अपने जीवन में कोई सुरक्षा नहीं लगती है। वैसी ही असुरक्षा की भावना भारतीय लोगों के बीच विज्ञापन करके विदेशी कम्पनियां बनाने की कोशिश करेंगी। यह हमारी प्रजा के लिये नुकसानदायी होगा।)

21. कोई भी सरकार लाटरी–जुआ–सट्टेबाजी के कारोबारों को चलाने का कार्य नहीं कर सकेगी और ना ही दूसरों को इसके लिये अनुमति देगी।

22. भारतीय शेयर बाजार में किसी भी विदेशी कम्पनी और संस्था को कारोबार करने की इजाजत कोई भी सरकार नहीं देगी। (दुनिया भर में इस बात का अनुभव हुआ है कि जिस देश में भी शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों को व्यापार करने की छूट मिली, उसी देश में बड़े–बड़े घोटाले हुए हैं और जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे डूबे हैं।)

23. कोई भी सरकार किसी भी खोज पर पेटेन्ट नहीं देगी। चाहे वह खोज किसी भारतीय व्यक्ति/कम्पनी ने की हो अथवा विदेशी व्यक्ति/कम्पनी ने। (ज्ञान को भारतीय परम्परा में किसी व्यक्ति विशेष की सम्पत्ति नहीं माना जाता है। ज्ञान सभी के लिये है। ज्ञान का प्रवाह सहज रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को होना चाहिए।)

24. कोई भी सरकार नशीली वस्तुओं का व्यापार नहीं कर सकती और न ही किसी को इसकी इजाजत देगी। जैसे सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, गुटखा, शराब, अफीम, गांजा, चरस, हशीश, कोकीन आदि।

25. कोई भी सरकार जनता की अनुमति के बिना किसी फिल्म को सिनेमाघरों में दिखाये जाने की अनुमति नहीं दे सकती। जिला स्तर पर या प्रदेश स्तर पर जनता के प्रतिनिधियों की एक समिति ही फिल्मों को दिखाये जाने अथवा नहीं दिखाये जाने के बारे में तय करेगी। इस समिति में 50 प्रतिशत से अधिक महिलायें होंगी।

ब. सत्ता का विकेंद्रीकरण

आज की सत्ता अधिकांशतः केंद्र और राज्य सरकारों के नियंत्रण में है, जिसके लिए अरबों रुपयेां के कर आम जनता पर थोपकर यह सरकार चलती है और सारा पैसा इन्हीं के बीच खर्च हो जाता है। इससे 90 प्रतिशत आम जनता ज्यादा से ज्यादा गरीब होती जा रही है और मौत के मुंह में जा रही है। इस पूरी व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन की मांग है और नियमों का बनना जरूरी है। करों का बंटवारा तथा न्याय की तमाम सत्ता गांवों में और शहरों में विकेंद्रित करने की खास आवश्यकता है, जिसके लिए संविधान के मुख्य ढांचे में बदलाव कर उसे चार भागों में बांटना चाहिए –

(1) गांव तथा शहरों की सत्ता
(2) जिला पंचायत की सत्ता
(3) राज्य सरकार की सत्ता
(4) केंद्र सरकार की सत्ता।

यह नया ढाँचा आर्थिक व कानूनी विषयों को चार भागों में बांट देता है। ऐसा करना आवश्यक है। इससे गांव व शहरों की सत्ता मुख्य हो जाती है और इसके बाद जिला पंचायत की सत्ता आती है और फिर राज्य सरकार की। केंद्र सरकार केवल संरक्षण, विदेशी मसलों को निपटायेगी और राष्ट्रीय स्तर के मसलों से ही रूबरू होगी। इसके अमल के लिए नीचे लिखी बातें विचारणीय हैं :

(1) ''ग्राम्य सूची'' नाम का एक पत्रक तैयार किया जाए जिसमें गांव के नियम व व्यवस्था और उसमें से निकलने वाली न्याय व्यवस्था, संपत्ति का मूल्यांकन, बेकार पड़ी जमीन की खरीदी का अधिकार, व्यापार व रोजगार के तमाम अधिकार, खेती से संबंधित सभी अधिकार, सिंचाई के अधिकार, पशुपालन और जंगल में पैदा होने वाले वनोपज संबंधी तमाम अधिकार, छोटे उद्योग और फसल, कुटीर उद्योगों के तमाम अधिकार, पानी, घर, सड़क, बिजली व बिजली का उत्पादन, आम जनता का कल्याण व अधिकार, शिक्षण, स्वास्थ्य, रीति रिवाज, परंपरा, और समाज कल्याण के तमाम आधिकार गांव के हाथ में ही रहेंगे और शहरों के शहर के हाथ में। इस तरह इन तमाम विषयों के नियम–कानून गांव खुद बना सकता है और उसको रद्द भी कर सकता है। सरकार के द्वारा बनाया हुआ कोई भी कानून गांव की इच्छा के विरूद्ध लागू नहीं हो सकता। न्याय के तमाम अधिकार सिर्फ गांव में ही रहेंगे। इस तरह से सत्ता के सही केंद्र गांव व

शहर बन जायेंगे और आज की सरकार के पास नाममात्र की सत्ता रह जायेगी। कर की उगाही का अधिकार सिर्फ गांव व शहर में रहेगा और उसमें सरकार केवल 20 प्रतिशत ले सकेगी। उसी पैसे में से सरकार अपना काम चलायेगी। यदि ऐसा होता है तो सच्चा स्वराज्य आयेगा।

ग्राम्य सूची

1) जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा
2) पीने का पानी
3) खेती और खेती योग्य जमीन के बारे में
4) सिंचाई के साधन पानी का प्रबंधन (भूगर्भ जल एवं जमीन की सतह पर उपलब्ध पानी के बारे में)
5) पशु एवं पशु आधारित उद्योग–व्यवसाय
6) ग्रामीण विद्युतीकरण, विद्युत उत्पादन एवं वितरण
7) खादी एवं ग्रामोद्योग
8) लघु उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
9) शिक्षा (प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर तक)
10) गाँव की सुरक्षा के लिये पुलिस आदि
11) व्यापार (गाँव में आने वाली वस्तुओं की खरीद के बारे में एवं गाँव से बाहर जाने वाली वस्तुओं की बिक्री के बारे में)
12) गाँव से सम्बन्धित सभी मामलों के समाधान एवं न्याय के बारे में
13) भूमि संरक्षण, भूमि सुधार के बारे में, भूमि हदबंदी
14) गाँव से लगे हुए जंगल एवं अन्य जंगलीय संसाधन
15) ग्रामीण आवास व्यवस्था, ग्रामीण आवासों पर कर आदि
16) ईंधन (घरों में प्रयोग के लिये)
17) पशुओं के चारे की व्यवस्था, गोचर आदि भूमि के बारे में।
18) सड़कें, नदियों पर पुल आदि
19) अपारम्परिक उर्जा के स्रोत
20) गरीबी हटाने के कार्यक्रम
21) महिला एवं बाल विकास
22) तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण
23) प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा

24) परिवार कल्याण

25) शराब बंदी

26) अस्पताल तथा अन्य स्वास्थ्य व्यवस्थायें

27) गाँवों की सफाई

28) सामाजिक कल्याण के कार्य

29) समाज के कमजोर वर्गों के लिये योजनायें खासकर अनुसूचित जाति एवं जन जातियों के लिये।

30) अनाज आदि के लिये वितरण व्यवस्था

31) सम्पत्ति अधिग्रहण के मामले एवं भूमि हदबंदी

32) सट्टा, जुआ आदि को रोकने से सम्बन्धित

33) गाँव के पशुओं का कत्ल रोकने सम्बन्धी

34) भूमि राजस्व की वसूली और भूमि राजस्व के सभी दस्तावेज रखने, भूमि राजस्व की सीमा तय करने सम्बन्धी

35) ग्रामीण क्षेत्र में मनोरंजन के साधनों पर कर आदि।

36) व्यापारिक आमदनी पर कर। जरूरत हो तो कृषि आमदनी पर कर अथवा अन्य आमदनी पर कर

37) गाँव में उपलब्ध (चार पहिया) वाहनों पर कर (ट्रैक्टर, जीप, कार)

38) जनसुविधायें जैसे सड़कों पर रोशनी, शौचालय, मूत्रालय, बस स्टैण्ड, कार पार्किंग आदि की व्यवस्था

29) पशुओं को नहाने एवं पानी पीने के तालाब आदि

40) गाँव में होने वाली चोरी आदि की घटनाओं के सम्बन्ध में

41) ग्रामीण बाजार और मेले आदि

42) ग्रामीण पुस्तकालय एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां

43) खेलकूद तथा अन्य मनोरंजन के साधन

44) सामुदायिक सम्पत्ति एवं संसाधनों का प्रबंधन एवं देखरेख

45) तीर्थयात्रा, गाँव के मन्दिर आदि की देखरेख एवं निर्माण

46) रुपयों का लेन–देन, किसानों को कर्ज आदि की व्यवस्था, साहूकारी के व्यवसाय से सम्बन्धित

47) गाँव में बच्चों के जन्म एवं लोगों के मरण से सम्बन्धित सभी आंकड़ों का संग्रह। अन्य सभी गाँव सम्बन्धी सूचनायें।

(2) जिला स्तर की व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण हो जायेगी। जिस तरह से गाँव को नियम बनाने का अधिकार होगा उसी तरह से जिला पंचायत भी अपने कानून बना सकती है, परंतु गाँव का कानून सर्वोपरि होगा जिला पंचायत का नहीं।

इस तरह गांव की परिस्थितियों के अनुसार अलग–अलग कानून होगा। जिस तरीके से "ग्राम्य सूची" होगी उसी तरह से "जिला सूची" भी होगी। जिला सूची में उल्लिखित विषयों पर ही जिला पंचायत कानून बना सकती है। जिला सूची में उल्लिखित विषयों के आधार पर ही राज्य सरकार कानून बना सकती है, परंतु जिला पंचायत का ही कानून सर्वोपरि रहेगा।

जिला सूची

1) मझोले दर्जे के उद्योग एवं बड़े उद्योग
2) जिले में सिंचाई के संसाधनों से सम्बन्धित
3) शहरों को बसाने या बनाने की योजनायें
4) जिले में बनने वाली इमारतें
5) दो या दो से अधिक गाँवों के बीच बनने वाली सड़कें, पुल इत्यादि
6) सामाजिक एवं आर्थिक विकास की योजना (जिला स्तर पर)
7) जल देने की योजनायें (घरों में, उद्योगों में आदि)
8) जन स्वास्थ्य की सुविधायें, सफाई आदि
9) अग्निशमन केन्द्र आदि
10) शहरों में वनीकरण का कार्य, पर्यावरण संरक्षण
11) झुग्गी–झोंपड़ियों में रहने वालों की स्थिति सुधार के सम्बन्ध में।
12) जिले से गरीबी निवारण के लिये कार्य योजनायें।
13) बच्चों के खेलने के लिये मैदान, पार्क आदि की व्यवस्था
14) जिले स्तर पर सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में।
15) उच्च शिक्षा के संस्थान, शोध संस्थान आदि
16) किसी भी किस्म के झगड़ों का निपटारा करने के लिये जिला अदालतें।
17) जिला स्तर पर कर वसूलने, करों का नियोजन करने के सम्बन्ध में।
18) जिले के अन्तर्गत वस्तुओं के आवागमन और उन पर करों के बारे में।

19) समाचार पत्र--पत्रिकाओं के प्रकाशन सम्बन्धी

20) विज्ञापनों पर कर आदि के बारे में

21) ऐसे वाहनों पर कर, जिन पर ग्राम सूची में कर नहीं लिया जा सके।

22) कम्पनियों और निगमों पर लगाया जाने वाला कर

23) जिले में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर कर, उनका नियोजन आदि।

24) स्टाम्प ड्यूटी के रेट तय करने सम्बन्धी

25) पुस्तकालय, संग्रहालय आदि की देखरेख एवं निर्माण

26) पानी के रास्ते होने वाले आवागमन जैसे नौकायात, जलयात आदि की व्यवस्था और उन पर लगने वाले कर आदि

27) मजदूर संगठनों, उद्योग एवं श्रमिकों के झगड़ों के निपटारे के लिये अदालतें।

28) कल--कारखाने, कम्पनियां आदि के सम्बन्ध में

29) विद्युत उत्पादन—वितरण आदि

30) नमक का उत्पादन, व्यापार, वितरण

31) कृषि योग्य भूमि को छोड़कर किसी भी अचल सम्पत्ति का हस्तांतरण आदि के बारे में

32) सिनेमा—फिल्मों आदि से सम्बन्धित कानून

33) व्यापारिक एवं औद्योगिक समझौतों से सम्बन्धित

34) संस्थाओं, ट्रस्ट आदि से सम्बन्धित

35) जंगल तथा जंगलों में पैदा होने वाले उत्पादों से सम्बन्धित।

36) खाने—पीने के सामानों में मिलावट के विरूद्ध कानून के सम्बन्ध में।

37) जरूरी दवाओं का निर्माण और उनका वितरण

38) जन कल्याण—परिवार कल्याण की योजनायें।

39) चल—अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण (कृषि से अतिरिक्त) उनका प्रबंधन, उनकी बिक्री आदि।

40) सामाजिक सुरक्षा, रोजगार आदि बढ़ाने की योजनायें

41) श्रमिकों के हितों का संरक्षण करने वाले कार्य एवं योजनायें

42) उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा के लिये संस्थान, विश्वविद्यालय आदि। (कानूनी शिक्षा, इन्जीनियरिंग, मेडिकल आदि)

43) समाजसेवी संस्थायें, धार्मिक संस्थायें उनसे सम्बन्धित कानून
44) छूत द्वारा फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम चाहे वे बीमारियां मनुष्यों में, पौधों में अथवा जानवरों में हों।

ऊपर दी गयी जिला सूची का अध्ययन करने से साफ दिखता है कि जिला पंचायत को जो भी कानून और नियम बनाने का अधिकार होगा वह ग्राम पंचायत का प्रत्येक कानून या नियम ग्राम पंचायत के सहयोगी स्वरूप में ही होगा। अर्थात जिला पंचायत की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में मदद करेगा। कई मामलों में गांव बहुत छोटी इकाई होने के कारण सक्षम नहीं हो सकता है, सिर्फ उन्हीं मामलों में जिला पंचायत को कानून–नियम बनाने का मुख्य अधिकार होगा। लेकिन मूलभूत सत्ता तो ग्राम सभा अथवा नगर सभा के हाथों में ही रहेगी।

3) तीसरी सूची ''राज्य सूची'' होगी जिसमें राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकेंगे, परंतु राज्य सरकार का कानून सर्वोपरि होगा केंद्र सरकार का नहीं।

राज्य सूची

1) बड़े उद्योग
2) खदानें और उनसे सम्बन्धित कारोबार
3) दूरसंचार और रेडियो/टेलीविजन
4) विदेशों से व्यापार एवं लेन–देन
5) उत्पादन के लिये जरूरी संसाधन
6) अणु ऊर्जा (अणु विद्युत आदि)
7) जलयान और घरेलू वायुयान सेवायें, हवाई अड्डे
8) बंदरगाह, उनका रखरखाव, बंदरगाहों से होनेवाला व्यापार
9) सड़क यातायात के साधन–मोटर, बस, ट्रक आदि
10) श्रमिकों से सम्बन्धित कानून
11) देश की समुद्री सीमा के अन्दर के कानून–मछली आदि पकड़ने के
12) कापीराइट, पेटेन्ट तथा अन्य सम्बन्धित कानून
13) ऐतिहासिक इमारतों का रखरखाव, संग्रहालय आदि की व्यवस्था

7) राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति आदि के लिये चुनाव एवं उससे सम्बन्धित सभी व्यवस्थायें।
8) सभी न्याय परिषदों में न्याय पंचों या न्याय अधिकारियों की नियुक्ति
9) सभी अपराधियों को सजा दिलवाने या छोड़ने सम्बन्धी कानून–नियम आदि
10) भारत के महानियंत्रक–लेखा परीक्षक (Cag => Controller and Avditor General of India)
11) देश की सरकार, राज्यों एवं जिलों की सरकार और ग्रामीण स्तर की सरकारों के सभी लेखा–जोखा और कारोबार से सम्बन्धी सभी मामले।
12) कानून एवं संविधान उल्लंघन के सभी मामले।
13) आई.पी.सी., सी.पी.सी., सी.आर.पी.सी. आदि सभी दण्ड संहिताओं को सुधारना, जरूरत पड़ने पर उसमें रद्दोबदल करना, इन्हें लागू कराना।
14) शादी–विवाह से जुड़े विवाह एवं तलाक आदि के मामले।
15) छोटे बच्चों को गोद लेने–देने सम्बन्धी मामले
16) पारिवारिक या अन्य तरह की सम्पत्ति आदि के झगड़े और उनका निपटारा
17) मृत्यु के समय की जाने वाली वसीयत आदि के झगड़े सम्बन्धी
18) किसी व्यक्ति, संस्था या कम्पनी के दिवालिया होने सम्बन्धी
19) पारिवारिक झगड़े, संयुक्त परिवार की परेशानियों, झगड़ों आदि से सम्बन्धित।
20) किसी भी सरकारी–गैर सरकारी घोटालों की जांच से सम्बन्धित
21) दस्तावेजों का रखरखाव, उनका संग्रहण, शपथ आदि से जुड़े हुए मामले।
22) अदालतों द्वारा ली जाने वाली शुल्क अथवा अन्य कुछ जैसे स्टैंप ड्यूटी आदि
23) लोकसभा, विधानसभा, जिला सभा, अथवा ग्रामसभा के सेवकों को दी जाने वाली पगार अथवा भत्ते आदि। मन्त्रियों आदि की पगार से सम्बन्धित
24) न्याय सूची से सम्बन्धित प्रशासनिक व्यवस्था के लोगों के वेतन भत्ते आदि से सम्बन्धित।

इस विकेन्द्रित व्यवस्था के चलते ही हमारे देश में सच्चे स्वराज्य की स्थापना होगी। हमारा देश दुनिया के अन्य देशों की तुलना में काफी मजबूत होगा। दुर्भाग्यवश गत 54 वर्षों में हमारे स्वराज्य की दिशा काफी उल्टी हो गयी है, और फिर से गुलामी की स्थिति में पहुंच गयी है। गांधी जी कहा करते थे कि सरकार से लगातार छूटते जाना ही स्वराज्य है। संविधान में उपरोक्त संशोधन के बाद हमारे देश की व्यवस्था सच्चे स्वराज्य की ओर उन्मुख होगी।

38

संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का विकेंद्रीकरण करना

इसके लिए संविधान में विषयों की चार अलग–अलग सूची होगी यानी "ग्राम्य सूची", "जिला सूची", "राज्य सूची" और केंद्र सूची"। सबसे ज्यादा विषय "ग्राम्य सूची" में आ जायेंगे। केंद्र सरकार के पास सिर्फ पांच से सात विषय ही रहेंगे। ग्राम्य सूची, जिला सूची व राज्य सूची यह संयुक्त सूची रहेगी। जिससे ग्राम्य सूची के विषयों पर कानून गांव खुद भी बना सकता है या जिला बना सकता है, परंतु जहां–जहां एक ही विषय पर दो नियम हों वहां गाँव का नियम लागू होगा, जिले का नहीं। उसी प्रकार जिला व राज्य के नियमों में जहां एक ही विषय पर दो कानून हों तो जिले का कानून लागू होगा, राज्य का नहीं। इस तरह से सच्चा स्वराज्य हासिल होगा।

39

बहुतायत वर्ग का निर्माण गांव अथवा जिले में हो और राज्य या केंद्र में न जाना पड़े.

लोगों के बड़े हिस्से का निर्णय गांव में हो सके इस तरह निर्णय लेने का अधिकार गांव के पास होना चाहिए। संपूर्ण अधिकार तभी हो सकता है जब संविधान में ही गांव को संपूर्ण अधिकार सौंप दिये गये हों। इससे बड़े हिस्से का अधिकार गांव के पास आ जाएगा। ऐसे सभी क्षेत्रों के विषयों से संबद्ध एक ग्राम्य सूची नये संविधान में दाखिल करने की जानकारी सैंतीसवें (37) बिन्दु में दी गयी है। जो भी विषय ग्राम्य सूची में हों उससे संबंधित कोई भी कानून बनाने अथवा रद्द करने का अधिकार ग्राम सभा को मिल जाता है। जैसे शिक्षण का विषय यदि ग्राम्य सूची में हो तो शिक्षण से संबंधित सभी निर्णय गांव खुद कर सकता है। यानी क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, स्कूल का समय क्या रखना है,

छुट्टी कब देनी है, अवकाश कब रखना है, परीक्षा कब लेनी है या नहीं लेनी है, शिक्षक कितने रखने हैं, किसको रखना है और किसे निकालना है, किसको कितना वेतन देना है और उसे कितनी सुविधाएं देनी हैं, आदि के संदर्भ में निर्णय करने का अधिकार ग्राम्य सभा के पास आ जायेगा। अगर ऐसा हो जाए तो सच्चे, अनुभवी, मेहनती शिक्षक की कीमत खूब बढ़ जायेगी और शिक्षकों में स्वयं के गांव में ही ऊंचे वेतन पर और बेहतर सुविधाओं के साथ गांव में वापिस आने की प्रतियोगिता बढ़ जायेगी, जिससे नाकारा झूठे व आलसी शिक्षक खुद ब खुद निकल जायेंगे।

उसी प्रकार जान माल की सलामती से संबंधित विषय ग्राम्य सूची में शामिल हो तो जान माल की सलामती के लिए किसी भी प्रकार का कानून बनाना और रद्द करना गांव के अधिकार क्षेत्र में आ जायेगा। नियम बनाने और उस पर अमल करने की स्वतंत्रता ग्राम सभा को मिल जायेगी, जिससे बंदूक पिस्तौल किसे देना है, किससे वापस लेना है, पुलिस के रूप में किसकी नियुक्ति करनी है और किसे रद्द करना है, चोरी हो या कोई गुनाह हो तो किसकी जवाबदेही तय करना है ये सब अधिकार गांव सभा के हाथ में रहेंगे। इससे स्वाभाविक रूप से गांव में संपूर्ण निर्भयता रहेगी। गांव के बाहर कोई भी पुलिस अधिकारी गांव में दखलंदाजी नहीं कर सकता। कोई अपराध हो तो गांव की सलामती की जवाबदारी संभालने वाले पुलिस को गुनहगार को तत्काल ढूंढ़ना पड़ेगा और गांव का न्याय पंच, जो उसको उचित लगे, सजा दे सकता है, गुनहगार को जेल भी भेज सकता है। आरोपी को यदि लगे कि वह बेगुनाह है तो उसकी अपील वह कर सकता है पर तालुके के न्याय पंचायत के पास। इससे आज के झूठ व अन्याय का साम्राज्य नष्ट होगा और सत्य व न्याय की आशा जागृत होगी।

इस तरह से गांव को संपूर्ण अधिकार मिलें तो कई लोगों को आशंका हो सकती है कि गुंडा तत्व गांवों पर कब्जा कर लेंगे और गांव की जनता उल्टे और ज्यादा परेशान होगी, पर यह जरा भी संभव नहीं है। कारण यह है कि गांव की ग्राम सभा सर्वोपरि है। अधिकार सरपंच को नहीं ग्राम सभा को है। सरपंच को जब चाहे तब निकाला जा सकता है। आज चुना हुआ सरपंच यदि सत्ता का दुरूपयोग करता है तो कल सरपंच को हटाया जा सकता है। नियम बनाना गांव के हाथ में है। सरपंच का कार्यकाल दो चार वर्ष न हो। जब तक लोगों का विश्वास है, तब तक वह पद पर रहेगा। यदि दो दिन में ही विश्वास हट जाता है तो दो दिन में हट जायेगा। फिर भी सरपंच नियमों का उल्लंघन करता है या

दुरुपयोग करता है तो गांव का न्यायपंच उसे तत्काल सजा दे सकता है। जिला तंत्र को गांव में दखल देने का अधिकार नहीं होगा। जिला तंत्र तभी गांव सभा में दखल दे सकता है जब संपूर्ण ग्राम सभा उसकी मांग करे। जब तक सही तरीके से गांव की भलाई के लिए सही व्यवस्था का संचालन होगा, तब तक ऐसा संभव नहीं है। जहां सत्ता का दुरूपयोग करने वालों को सजा मिल सकती है, वहां गुण्डा तत्व समस्त गांव को दबाकर सत्ता में नहीं आ सकते। वर्तमान में अवश्य आ सकते हैं। कारण यह है कि गांव को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है। और गाँव के बाहर की पुलिस और कोर्ट को सभी अधिकार प्राप्त हैं जिससे बाहर की सत्ताओं के साथ मिलकर गुण्डा तत्त्व गांव पर कब्जा जमाते हैं। गाँव को यदि संपूर्ण अधिकार हो तो गांव के गुण्डों की हत्या भी कर दें तो गांव सभा उसे उचित ठहरा सकती है।

40

जो भी राशि करों के जरिए आए उसका 80 प्रतिशत स्थानीय निकायों में रहे और 20 प्रतिशत राज्य व केंद्र सरकार अपना काम चलाने के लिए रखे

मुख्यतः करों की उगाही का अधिकार गांव, नगर तथा जिला पंचायत के हाथ में रहेगा। सरकार के पास कोई अधिकार नहीं होगा। यानी कर उगाही का अधिकार राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास नहीं होगा। केंद्र सरकार के पास सिर्फ सीमा शुल्क यानी विदेशों से आने वाली चीजों के ऊपर कर लगाने का अधिकार होगा। गांव या जिले को कर से जो भी आवक होगी उसमें से 80 प्रतिशत स्वयं रखकर 20 प्रतिशत रकम सरकार को देनी होगी। इससे अपने आप ही सरकार की लोगों पर जुल्म करने की शक्ति कम हो जायेगी। सरकार जिला मुख्यालय और लाखों गांवों की आश्रय बन सकेगी। ऐसा हो तभी, सरकार लोगों की सरकार बन जायेगी, लोगों के मार्गदर्शक बनने की शक्ति सही रूप में विकसित होगी। लोग निडर बनेंगे और सच्ची लोकशाही का उदय होगा।

तदुपरांत अनेक कर उगाही का कार्य राज्य सरकार या केंद्र सरकार करती है तो भी उगाही की 80 प्रतिशत रकम तत्काल ग्राम सभा व नगर को देनी पड़ेगी। यानी 80 प्रतिशत रकम पर सरकार का कोई अधिकार नहीं रहेगा जिससे सरकार को अपने सभी बड़े खर्चों को कम करना पड़ेगा। बड़े–बड़े वेतन देना सरकार के लिए संभव नही होगा। यानी वर्तमान में अभिमानी आइ.ए.एस.

अधिकारी और नेता सौ करोड़ जनता को जिस तरह परेशान करते हैं, वह सब बंद हो जायेगा। 80 प्रतिशत रकम गांव के लोगों को स्वयं के कल्याण के लिए उपयोग में लानी है, जिससे गांवों की सच्ची सुख, समृद्धि व सुविधाओं में बढ़ावा होगा। गांव में रहने वाला निम्न स्तर का नहीं कहलायेगा। गांव में रहने वाला शहर की ओर नहीं भागेगा। आज जिस तरीके से यूरोप के गांवों में रहने वाला पास के भी शहर में जाना पसंद नहीं करता उसी तरह भारत के गांव में भी इतनी सुख, समृद्धि व संपत्ति उत्पन्न होगी कि गांव में रहने वाला शहर की ओर नहीं जायेगा। तभी गांव व शहर के बीच सही संतुलन आयेगा और शहरीकरण से आज का शहर जो नर्क बन गया है, उसका खात्मा होगा।

41

गांवों व छोटे शहरों के प्रत्येक व्यक्ति को रहने की भूमि मुफ्त मिले, ऐसी नीति हो.

जब गांव के हाथों में सही संवैधानिक अधिकार आ जाए तब प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त भूमि देने की व्यवस्था थोड़े ही दिनों में पूर्ण हो जायेगी। राजस्व विभाग के तमाम अधिकार गांव को मिल जायेंगे जिससे गांव की जमीन का क्या करना है, यह निर्णय ग्राम सभा खुले रूप से ले सकती है। यानी स्वाभाविक रूप से गांव के लोगों को रहने की जगह देने का काम सबसे पहले करने में आयेगा।

42

कोई भी नागरिक अपने निवास से दो तीन किलोमीटर की दूरी पर ही स्वयं का व्यवसाय स्थल बना सके इस तरीके के नियम की व्यवस्था.

43

राज्य छोटे–छोटे हों, इसमें आजादी बचाओ आंदोलन की पक्की श्रद्धा है। संपूर्ण देश में 100 से 150 के लगभग राज्य होंगे। तब सच्ची लोकशाही पुलकित होगी। बड़े राज्यों के अन्याय के सामने नागरिकों का संगठित होना कठिन है, परंतु छोटे राज्यों में यह सरल सहज है। यही एक कारण छोटा राज्य

बनाने के लिए पर्याप्त है, जिससे आज के सभी बड़े राज्यों को तोड़कर सौ से डेढ़ सौ राज्य बनाने का आजादी बचाओ आन्दोलन का ध्येय है। आज राज्य खुद आतंकवादी बन गया है। प्रत्येक सरकारी कार्यालय आतंकवाद के केंद्र बन गये हैं जो अनेक तरीकों से जनता को परेशान करने का काम करते हैं। भ्रष्टाचारी मजा लूट रहे हैं। सरकारी अधिकारी व कर्मचारी जनता के सेवक होने के बदले मालिक बन बैठे हैं और जनता उनकी गुलाम। तमाम सरकारी विभागों में रक्षण के बदले भक्षण, विकास के बदले विनाश और पोषण के बदले शोषण निर्दयतापूर्वक चल रहा है। यह आज की नग्न वास्तविकता है। राज्य के ऐसे भयानक स्वरूप पर विचार करने से यह स्पष्ट समझ में आता है कि राज्य खुद जनता के सिर पर चढ़ बैठी है, इसलिए यह अनिष्ट छोटा ही हो तो अच्छा, ताकि जनता खुद वहां पहुचकर इसे ठीक कर सके। राज्य का प्रशासन हमेशा जनता के हाथ में होना चाहिए। यह राज्य छोटा होने पर ही संभव है। राज्य स्वयं ही आतंकवादी बन गया हो तो राज्य की ओर से होने वाले अन्याय के विरूद्ध कदम से कदम मिलाकर लड़ने का अवसर हमेशा जाता रहेगा। अन्याय के सामने लड़ने की शक्ति छोटे राज्यों में ज्यादा होती है। बड़े, विशालकाय राक्षसी राज्य के अन्याय के सामने लड़कर जीतने का आत्मविश्वास पैदा करने के लिए जितना पुरूषार्थ पैदा करना पड़ता है। छोटे राज्यों को सहजता से, गलत मार्ग से सीधे मार्ग पर लाया जा सकता है। बड़े राज्यों में लोगों की आवाज सहजता से सुनाई नहीं पड़ती और उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। छोटे राज्यों में लोगों का दु:ख दर्द व उनकी आवाज सहजता से हुक्मरान तक पहुंच सकती है। वहीं बड़े राज्य आम जनता की आकांक्षाओं के प्रति हमेशा संवेदनहीन रहे हैं। बड़े राज्यों में फिजूलखर्ची रोकना भी कठिन है किंतु छोटे राज्यों में इस विषय को सहजता से अमल में ला सकते हैं। इस तरीके से छोटे राज्य की अनिवार्यता स्वयं सिद्ध है। बड़ा राज्य जनता के लिए नुकसानदेह है। छोटे राज्य जनता के लिए लाभदायक हैं, यह स्वयं सिद्ध है। इसमें अतिरिक्त दलील की आवश्यकता नहीं है।

यह सब होते हुए भी छोटे राज्यों की रचना क्यों नहीं की जाती? बड़े राज्य सिर्फ जनता को दबाने के लिये उपयोगी हैं। पिछले पैंतालिस वर्षों से सिर्फ बड़े राज्य ही बने हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लोकशाही का नाश हुआ है, गरीबों का शोषण बढ़ा है, गांव का निर्मम शोषण और उपेक्षा हो रही है और हम हताश होकर नि:सहाय पड़ गये हैं। 1956 में राज्यों की पुनर्रचना हुई और छोटे राज्यों को खत्म कर विशालकाय राज्य बनाए गए। यह भयंकर भूल है,

यह सभी जानते थे परंतु नेहरू की मनमानी के आगे या तो किसी की नहीं चली अथवा उस समय के सभी नेताओं में अंधविश्वास था। तमाम नेताओं का मानना था कि बड़े राज्य बनाना भयंकर भूल थी तो फिर यह भूल अब सुधार ली जानी चाहिए। बड़े राज्यों का परिणाम हम 45 वर्षों से भोग रहे हैं। अब बिना विलंब नये सिरे से छोटे राज्यों की रचना करनी चाहिए। लोगों की इन आकांक्षाओं को ज्यादा दिनों तक दबाकर नहीं रखा जा सकता। आज के समय में सामूहिक खून चूसने वाला अन्याय हो रहा है। गांवों की निरंतर उपेक्षा कर प्रति व्यक्ति राज्य सरकार तीन हजार रूपये कर उगाही करती है। दो हजार की जनसंख्या वाले गांव में से पचास लाख रूपये सरकार प्रति वर्ष ले जाती है, जिसमें से गांव को कुछ भी नहीं मिलता। पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं। ऐसे खून चूसने वाले कई अन्याय होते रहते हैं, फिर भी बड़े पैमाने पर कोई आंदोलन हो ऐसा दिखाई नही देता। जनता का स्वाभिमान मर गया है। हताशा इतनी घर कर गयी है कि लोग अपने घरों में खिड़की दरवाजे बंद करके बैठ गये हैं। सभी को ऐसा लगता है कि अब नौकरशाही इतनी बढ़ गयी है कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, परंतु ऐसा नही है। ऐसी हताशा समग्र जनता के अस्तित्व के लिये खतरनाक है। जिस तरीके से भी हो खराब परिस्थितियों में भी रास्ता निकालने की कोशिश करनी चाहिए। आंदोलन को लगता है कि आज के खून चूसने वाले जुल्मों से जनता को बाहर निकालने का एकमात्र पहला कदम छोटे राज्यों की संरचना है। एक बार यदि छोटे राज्य बन गये तो उसके जुल्म और अन्याय करने की शक्ति घट जायेगी तथा जनता की राज्य के सामने खड़े होने की शक्ति बढ़ जायेगी। इसलिए छोटे राज्यों की मांग करना आज के समय की सबसे जरूरी और पहली आवश्यकता है।

44

मातृ प्रधान भारतीय संस्कृति को संपूर्ण संरक्षण देना

इसके लिए निम्न लिखित कार्य करना खासतौर पर जरूरी है ;

1) स्त्री का अपमान हो ऐसी कोई भी फिल्म, सिनेमा, टेलीविजन, सीरियल, अखबार का लेख, विज्ञापन, पुस्तक या उपन्यास प्रकाशित होता है तो उसके निर्माता, निर्देशक, मॉडलिंग करने वाले पात्र, लेखक अथवा विज्ञापन दाता को कम से कम दस साल की सजा हो। किसी भी पचास स्त्रियों का अभिप्राय ऐसा हो कि

अमुक फिल्म, सिनेमा, सीरियल, टेलीविजन, अखबार का लेख, विज्ञापन, पुस्तक या उपन्यास में नारी का अपमान हुआ है तो दोषी व्यक्ति को सजा दी जाए।

2) स्त्रियों से संबंधित कोई भी अपराध जैसे कि छेड़छाड़, बलात्कार, अपहरण, खून या किसी भी प्रकार के उत्पीड़न में न्याय देने का अधिकार स्त्रियों को ही रहेगा। गांव की न्याय पंच में 40 प्रतिशत स्त्रियाँ अवश्य रहेंगी। उनसे संबंधित किसी भी मसले पर नारी ही न्याय दे सकेगी, पुरूष नहीं।

3) परिवार में स्त्रियों का जायजाद में पूरा अधिकार रहेगा।

4) कोई भी स्त्री प्राप्त अधिकार का दुरूपयोग करती है तो उस स्त्री को भी दस वर्ष की जेल की सजा हो सकती है, परंतु यह सजा सिर्फ स्त्री न्यायाधीश ही दे सकती है या स्त्रियों के न्याय पंच में ही यह सजा मिल सकती है।

45

ग्राम न्याय समिति, जिला न्याय समिति, राज्य न्याय परिषद और राष्ट्रीय न्याय परिषद का गठन

1) राष्ट्रीय न्याय सभा (परिषद) में, न्यायविदों की नियुक्ति सभी राज्यों की न्याय परिषद के न्यायविद् करेंगें। यह देश की सर्वोच्च न्यायकीय संस्था होगी।

2) राज्य की न्याय परिषदों की स्थापना, उस राज्य के सभी जिला न्याय समितियों के न्यायविदों द्वारा की जायेगी।

3) जिला न्याय समिति की स्थापना ग्राम न्याय समितियों के द्वारा और तालुका न्याय समितियों के द्वारा की जायेगी।

4) ग्राम न्याय समिति की स्थापना ग्रामसभा द्वारा की जायेगी। इसमें कम से कम 5 सदस्य होंगे। जिनमें एक न्याय पंच (सरपंच) होगा।

5) कोई भी राजनैतिक पार्टी का सदस्य किसी भी न्याय परिषद अथवा समिति का सदस्य नहीं हो सकेगा।

6) कोई सरकारी कर्मचारी भी न्याय समितियों का सदस्य नहीं हो सकेगा।

7) राष्ट्रीय न्याय सभा, सभी न्याय समितियों के लिये चुने जाने वाले सदस्यों के लिये अधिकार सीमा और योग्यता का निर्धारण करेगी।

8) किसी भी सदस्य को राष्ट्रीय न्याय सभा में जाने के पूर्व राज्य की न्याय परिषद में कम से कम 5 साल का कार्य–अनुभव लेना जरूरी होगा।

9) राज्य न्याय सभा में आने वाले प्रत्येक सदस्य को कम से कम 5 साल जिला न्याय समिति में कार्य का अनुभव होना चाहिए।

10) इसी तरह जिला न्याय समिति में आने वाले प्रत्येक सदस्य का ग्राम/तालुका न्याय समिति का 5 साल का कार्य अनुभव होना जरूरी होगा।

11) प्रत्येक ग्राम न्याय समिति में 50 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे।

12) प्रत्येक जिला न्याय समिति में 30 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे।

13) प्रत्येक राज्य न्याय परिषद और केन्द्रीय न्याय सभा में 20 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिये होंगे।

14) महिलाओं से सम्बन्धित अत्याचारों एवं मामलों में महिलायें ही न्यायिक अधिकारी होंगी।

15) ग्राम न्याय समिति गांव में होने वाले सभी आपराधिक एवं सामान्य झगड़ों/मुकदमों का निपटारा करेगी।

16) ग्राम न्याय समिति द्वारा दिये गये फैसलों के विरूद्ध अपील करने के लिये जिला न्याय समिति अथवा तालुका समिति में ही जाना होगा।

17) जिला न्याय समिति का फैसला सभी सरकारी कर्मचारियों के ऊपर लागू होगा।

18) प्रत्येक फैसले में न्याय के सिद्धान्त की वरीयता होगी, न कि कानूनों के उलझाव की अर्थात् सभी फैसले न्याय आधारित होंगे। आज की व्यवस्था में फैसले कानून आधारित होते हैं भले ही उसमें न्याय मिले या ना मिले।

19) राज्य न्याय परिषद और राष्ट्रीय न्याय सभा के सभी सदस्य न्यायाधीश होंगे।

जल संसाधनों का विकेन्द्रीकरण

पीने के पानी की व्यवस्था के लिये घर–घर में टैंक बनाने का कार्य हो, जिससे कि वर्षा का पानी उसमें एकत्रित हो सके। और साल भर की पीने के पानी की जरूरत को पूरा कर सके। यह कार्य उन इलाकों में अनिवार्य होगा जहां पर हर वर्ष बारिश नहीं होती है या दो–तीन साल में एक बार बारिश होती है। ये पानी के टैंक घरों के नीचे बनें तो अच्छा होगा। इन टैंकों में एकत्रित पानी को पीने के अतिरिक्त और भी किसी कार्य में ले सकते हैं। इसी तरह गांव या कस्बों से गुजरने वाली नदियों पर छोटे–छोटे बांध बनाना। गांवों में तालाब बनाना, ताकि उन तालाबों में भी वर्षा का पानी एकत्रित हो सके। कोई बड़ा बांध बनाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी। विद्युत उत्पादन के लिये भी छोटे बांधो से ही काम चलाना है। कहीं दूर से पानी लाकर किसी गांव/कस्बे/शहर की व्यवस्था को नही चलाना है। आज के समय में कई स्थानों पर 100–200 किमी. दूर से भी पानी लाने का कार्य किया जाता है, वह नहीं करना है। क्योंकि दूर से पानी लाना स्वदेशी के सिद्धान्त के विरूद्ध है। कभी सूखे अथवा अकाल की विशेष परिस्थिति में यह किया जा सकता है, लेकिन समान्य परिस्थितियों में तो बिल्कुल भी नहीं।

उर्जा तथा विद्युत व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण

भारत के प्रत्येक गांव की जरूरत के अनुसार विद्युत पैदा करने की और वितरण की व्यवस्था बनानी है। यदि एक गांव इस व्यवस्था को करने में सक्षम नहीं है तो कई गांव मिल कर अथवा तालुका (तहसील) स्तर पर विद्युत उत्पादन और वितरण की व्यवस्था हो। इसके लिये जरूरत पड़ने पर गाँव सभा अथवा जिला पंचायतें कानून–नियम बना सकती हैं। यदि गांव में रहने वाले लोग व्यक्तिगत स्तर पर विद्युत की व्यवस्था करना चाहें तो उन्हें पूरी छूट होगी, बशर्ते कि वे राष्ट्रीय संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करें। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का समुचित प्रयोग हो सके, इसके लिये व्यक्तियों और संस्थाओं को खुली छूट एवं प्रोत्साहन देने की नीति बनानी होगी। छोटी–छोटी जल विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने का काम उन सभी स्थानों पर हो जहां ये संभव हों। ताप विद्युत (थरमल पावर) के लिये भी केन्द्र जितने छोटे स्तर पर संभव हो, बनाये जायें। बिजली के पारेषण पर खर्च कम से कम हो। बहुत अधि

ाक दूर तक बिजली भेजने की व्यवस्था नहीं करनी पड़े। स्थानीय स्तर पर बिजली बने और उसकी खपत हो। उद्योगों को कहा जाय कि वे अपनी जरूरत की बिजली स्वयं पैदा करें। इसके लिये उन्हें खुली छूट हो। किसी विशेष परिस्थिति में ही उद्योगों को ग्रिड में से बिजली दी जाय।

विकेन्द्रित रेडियो और टी.वी. स्टेशन

पूरे देश के रेडियो और टी.वी. पर गलत और झूठे विज्ञापन पर तत्काल पाबंदी होनी चाहिए। कानून ऐसे बनें कोई भी व्यक्ति/कम्पनी/संस्था अपना कोई भी गलत एवं झूठा विज्ञापन नहीं कर सके। 100 किमी. की सीमा में रेडियो स्टेशन चालाने की छूट व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को मिले। लेकिन किसी भी विदेशी व्यक्ति अथवा संस्था या कम्पनी को यह अधिकार नहीं होगा। इन रेडियो स्टेशनों का इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी या एक–दूसरे के धर्म विरोधी कार्यों के लिये नहीं हो सकेगा। जैसे यदि किसान चाहें तो वे भी रेडियो स्टेशन चला सकेंगे। कारीगर वर्ग के लोग भी अपने रेडियो स्टेशन चला सकेंगे। कारीगर वर्ग के लोगों को भी यह अधिकार होगा। इसी तरह महिलाओं के संगठन भी चाहें तो रेडियो स्टेशन चला सकें गे।

रेडियो स्टेशन की तरह टी.वी. केन्द्रों के लिये भी संस्थागत अथवा व्यक्तिगत अधिकार होंगे। जो नियम रेडियो केन्द्रों पर लागू होंगे, वही टी.वी. केन्द्रों पर भी होंगे। टी.वी. और रेडियो केन्द्रों का मुख्य उद्‌देश्य शैक्षिक और सामाजिक जरूरतों को पूरा करने का होगा। मनोरंजन तो दोयम स्तर पर ही होगा। अर्थात् टी.वी. रेडियो का मुख्य काम लोगों का मनोरंजन करना नहीं होगा। मुख्य कार्य शिक्षण देने का और दैनिक जीवन अथवा व्यवस्थाओं में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण करने का होगा। जैसे किसानों की फसलों पर समय–समय पर लगने वाले कीड़ों से बचने के लिये समाधान बताना। जीवन में स्वस्थ रहने के लिये कुछ जरूरी बातों का प्रचार करना। इन टी.वी. और रेडियो स्टेशनों को चलाने से सम्बन्धित कानून बनाने का अधिकार केन्द्र सरकार को होगा। टी.वी. और रेडियो के माध्यम से कुछ राष्ट्रीय कार्यक्रमों का भी प्रसारण किया जा सकेगा। उसके सम्बन्ध में भी नीति बनाने का कार्य लोकसभा/केन्द्र सरकार को करना होगा।

गाँव सच्चे गणराज्य होंगे

गाँवों को सच्चा गणराज्य बनाने के लिये ग्रामसभा को कानूनी सत्ता हाथ में देना बहुत जरूरी है। इसी को देखते हुए पूर्व अध्याय में सूचियां दी गयी हैं जिनके आधार पर केन्द्र एवं राज्य सरकारों, जिला एवं ग्राम सरकारों को कानून बनाने के अधिकार होंगे। अब इन सूचियों के आधार पर अधिकार क्षेत्रों का बंटवारा किस तरह होगा, उसके लिये निम्नलिखित व्यवस्था होगी।

1) देश में पांच तरह की कानूनी सत्ता रखने वाली सूचियां हैं – ग्राम्य सूची, जिला सूची, राज्य सूची, केन्द्र सूची और न्याय सूची।

2) ग्राम्य सूची जो है, वह ग्राम सभा और जिला पंचायत के लिये समवर्ती सूची होगी। अर्थात् ग्राम्य सूची में दिये गये विषयों पर कानून बनाने का अधिकार ग्राम्य सभा और जिला परिषद दोनों को ही होगा।

3) जिला सूची जो है, वह जिला पंचायत और राज्य सरकार के लिये समवर्ती सूची होगी। अर्थात् जिला सूची में आने वाले विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जिला पंचायत और राज्य सरकार दोनों का ही होगा।

4) राज्य सूची जो है, वह राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के बीच समवर्ती सूची होगी। अर्थात् राज्य सूची के तहत आने वाले विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार दोनों को ही होगा।

5) केन्द्रीय सूची में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ लोक सभा को ही होगा।

6) इस पूरी व्यवस्था में राज्य सभा और विधान परिषदों की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अतः सभी विधान परिषदों को समाप्त किया जायेगा और राज्य सभा को भी समाप्त करना होगा।

7) किसी विवाद की स्थिति में कानून बनाये जाने पर जो कानून निचली संस्थाओं द्वारा बनाये गये हैं, वे ही लागू माने जायेंगे। उदाहरण के लिये – यदि जिला पंचायत और ग्राम सभा द्वारा किसी एक ही विषय पर कानून बनाये जाने से विवाद की स्थिति पैदा हो तो ग्राम सभा द्वारा बनाये गये कानून को ही माना जायेगा। इसी तरह जिला पंचायत और राज्य सरकार द्वारा बनाये गये

किसी एक ही विषय पर विवाद हो तो जिला पंचायत द्वारा बनाये गये कानून की मान्यता होगी। इसी तरह राज्य और केन्द्र के बीच किसी एक ही विषय पर कानूनी विवाद हो तो राज्य सरकार द्वारा बनाये गये कानून की ही मान्यता होगी।

8) जिला पंचायत चाहे तो तालुका (तहसील) पंचायत को भी कानून बनाने का अधिकार दे सकती है।

9) जिला पंचायत चाहे तो अपने कानून बनाने का अधिकार नगरपालिका या महानगर–पालिका को भी दे सकती है।

10) इसी तरह राज्य सरकार चाहे तो अपनी जिला पंचायतों और नगरपालिकाओं को भी अपना कानून बनाने का अधिकार दे सकती है।

11) ग्रामीण सरकारों की कानूनी सत्ता का सम्मान सभी को करना होगा। अर्थात् केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, जिला पंचायत की सरकार आदि सभी को ग्राम्य सरकार की कानूनी सत्ता का सम्मान करना होगा।

यदि गाँव–गणराज्य बनाने हैं तो कानून बनाने की सत्ता ग्राम सभा को होनी ही चाहिए। यदि कानून बनाने की सत्ता ग्राम सभा को देना हो तो संविधान में इस बात को लाने की जरूरत है। इसलिये संविधान में ग्राम सूची को डालने की बात ऊपर कही गयी है। इस ग्राम–सूची में तकरीबन वे सभी मामले आ जाते हैं, जो गांव की व्यवस्थाओं से सम्बन्धित हैं। यदि ग्राम सूची को संविधान में शामिल कर लिया जाय तो ग्राम सभा को उस सूची में शामिल सभी मुद्दों पर कानून बनाने या बने हुए कानूनों को रद्द करने का अधिकार आ जायेगा। यही अधिकार गांवों की सम्प्रभुता का अधिकार होगा। उदाहरण के लिये शिक्षा का मुद्दा ग्राम सभा की सूची में है। अतः शिक्षा के प्रश्न पर सभी तरह के कानून बनाने का अधिकार ग्राम सभा को होगा। क्या पढ़ाना है ? क्या नहीं पढ़ाना है ? कितना पढ़ाना है ? कितना नहीं पढ़ाना है ? आदि सभी तरह के कानून–नियम या पाठ्यक्रम बनाने का अधिकार ग्राम सभा को होगा। इसी तरह स्कूल के खुलने का समय, स्कूल के बन्द होने का समय, छुट्टियों के दिन, इम्तहान अथक परीक्षा के बारे में आदि सभी बातों के लिये भी कानून–नियम बनाने का अधिकार ग्राम सभा को होगा। अध्यापकों की नियुक्ति, उनके वेतन–भत्ते आदि,

उनकी सेवा शर्तें, आदि सभी बातों के लिये भी कानून बनाने की शक्ति ग्राम सभा की होगी। इसके चलते अध्यापकों की पूरी जवाबदारी ग्राम सभा के प्रति होगी।

इसी तरह से जीवन और सम्पत्ति की रक्षा सम्बन्धी कानून बनाने का अधिकार भी ग्राम सभा को होगा। अतः ग्राम सभा चाहे तो अपनी ओर से ग्राम सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी। उन अधिकारियों के वेतन, सेवा शर्तें, आदि सम्बन्धी कानून भी बना सकेगी। ये सुरक्षा अधिकारी पूरी तरह से ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होंगे। गांव में होने वाली कोई भी चोरी या अन्य दुर्घटना के लिये ये सुरक्षा अधिकारी ही जवाबदेह होंगे। चोरी करने वालों अथवा दुर्घटना करने वालों को पकड़ना उनका कार्य होगा। गांव की न्याय समिति उन्हें दण्ड देने का कार्य करेगी। न्याय समिति चाहे तो उन्हें जेल भेजने का आदेश दे या उन्हें दण्ड देकर छोड़ दे। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वह निरपराधी है, बेकसूर है तो वह न्याय समिति के सामने अपील कर सकेगा। यदि वह संतुष्ट नहीं है तो आगे तालुका न्याय समिति में भी अपील कर सकेगा। लेकिन अधिकांश मामलों का निपटारा ग्राम न्याय समिति और तालुका न्याय समिति तक हो जायेगा। बहुत कम ऐसे मामले होंगे जो उसके आगे जायेंगे।

ग्रामसभा को सरपंच नियुक्त करने का और उसके अधिकार तय करने की सत्ता होगी। ग्राम सभा चाहे तो सरपंच को हटा भी सकेगी। सरपंच की कार्यावधि के बारे में भी तय कर सकेगी। यह सरपंच पूरी तरह से ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होगा। यदि ग्रामसभा का विश्वास सरपंच ने खो दिया तो उसे अपना पद तत्काल छोड़ना पड़ेगा। जिला सरकार या जिला पंचायत को ग्रामीण सरकार के काम में कोई दखल देने की जरूरत नहीं होगी, जब तक कि मामला दो या दो से अधिक ग्राम सभाओं के बीच किसी विवाद का नहीं हो। हालाँकि दो या दो से अधिक ग्राम सभाओं के बीच विवाद की स्थिति में तालुका न्याय समिति फैसला देने के लिये सक्षम होगी। लेकिन दो तालुकाओं या उससे अधिक के बीच किसी विवाद की स्थिति में जिला न्याय समिति को ही न्याय देने का अधि कार होगा। इसी तरह दो या दो से अधिक जिलों के बीच मामले में राज्य न्याय समिति को फैसला देने का अधिकार होगा। इसी तरह दो राज्यों या अधिक के बीच किसी झगड़े में केन्द्रीय न्याय समिति को काम करना होगा।

46

केंद्र सरकार के अंग्रेजों के समय से चले आ रहे 3,756 कानूनों को नष्ट कर आवश्यकतानुसार नये कानून बनाना.

अंग्रेजों के बनाए हुए तमाम कानून, परंपरा, रस्म, व्यवस्थाएं बहुत ही खतरनाक हैं। भारत को हमेशा गुलाम बनाए रखने के लिए यह पूरी व्यवस्था खड़ी की गयी थी और यह गुलामी को ज्यादा से ज्यादा प्रभावशील बनाने के लिए थी तथा स्वतंत्रता की प्रवृत्ति का दमन करने वाली थी। इस पूरी व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए अलग–अलग कानून बनाये गये थे और इसीलिए इनका नष्ट हो जाना जरूरी है। इसको लेकर हमारे मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। परंतु इससे भी ज्यादा तकलीफ की बात यह है कि आजादी के बाद भी जो कानून बने वे अंग्रेजों द्वारा बनाये गये कानूनों की पुनरावृत्ति थे, जिससे भारत को गुलाम रखने की व्यवस्था तैयार हुई और देश में गुलामी और ज्यादा बढ़ी। सरकार के पास अधिकार बढ़ गये हैं। जनता को परेशान करने का अधिकार ज्यादा मिल जाए ऐसे कानून बने हैं और उसे निरंतर मजबूती मिलती रही है, जिससे आम जनता की तकलीफें बढ़ी हैं। इन सब का नतीजा यह निकला है कि भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी बढ़ी है और आज भारत की गिनती दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में होती है। ऐसा क्यों हुआ है, इसकी तह में जाना जरूरी है। अंग्रेजी सरकार ने सारी व्यवस्था इस तरह से निर्मित की थी कि कोई भी सरकारी अधिकारी जनता पर अन्याय कर सकता था, उसको परेशान कर सकता था, पर वह आम जनता के प्रति बिल्कुल जवाबदेह नहीं था। मिसाल के तौर पर पंचायत का सचिव संपूर्ण गांव पर अधिकार रखता है। कृषकों से लगान ले सकता है। पर उनके प्रति उसकी कोई जवाबदारी नहीं है। इस तरह गांव पर अंकुश तो रखा गया पर उसके प्रति कोई जवाबदेही नहीं रखी गयी जो गुलामी की व्यवस्था को मजबूत बनाती है। इसी तरह से कथित जमींदार पूरे तालुके पर अधिकार रखता है और तालुके के किसी भी व्यक्ति के प्रति नहीं वरन् कलेक्टर के प्रति जवाबदार होता था। यह व्यक्ति यदि कलेक्टर को खुश रखे तो वह चाहे जितना लगान वसूल कर ले उसका कुछ नहीं बिगड़ता। इसी

प्रकार कलेक्टर सारे जिले पर अधिकार रखता है, पर जिले के प्रति उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। उसकी जवाबदेही राज्य सरकार के सचिव के प्रति है। यदि वह केवल उसे खुश रखता है तो कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। और यह सारी व्यवस्था एक दिन भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उसी तरीके से एक तालुके का पुलिस इंस्पेक्टर पूरे तालुके पर अधिकार रखता है, परंतु उसकी जवाबदेही केवल पुलिस अधीक्षक के प्रति है। पुलिस इंस्पेक्टर पूरे तालुके में रिश्वत लेकर जनता को परेशान करे तो भी कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि उसने आला अफसर को पटा रखा है। इसी तरह से सिंचाई अधिकारी भी अपने आला अफसरों के प्रति ही जवाबदेह होता है, जनता के प्रति नहीं, जिससे वह जनता को परेशान कर निर्भीक होकर भ्रष्टाचार कर सकता है और अपनी रिश्वत की रकम में से आधी ऊपर के अधिकारियों को देकर मजे लूट सकता है। ऐसा कमोबेश सभी विभागों में होता है।

यह पूरी की पूरी व्यवस्था जड़ से उखाड़ फेंकने लायक है। यह सारी व्यवस्था भारत को गुलाम बनाने के लिये है। स्वराज्य में तो प्रत्येक अधिकारी सीधे जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। अपने आला अफसर के प्रति जवाबदार हो पर जनता के प्रति जवाबदार न हो, ऐसी व्यवस्था के विरूद्ध जनता को आवाज उठानी चाहिए और विद्रोह का शंखनाद करना चाहिए। यानि अंग्रेजों के बनाए तमाम कानूनों को रद्द करना ही जरूरी नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता के बाद जो कानून अंग्रेजों की ही रीत पर बने हैं और जो इनसे भी ज्यादा भयंकर व अन्यायी और गुलामी की प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने वाले हैं, ऐसे तमाम कानूनों को उखाड़ फेंकना जरूरी है और उसके स्थान पर नयी व्यवस्था नए सिरे से विचार कर, जिसमें अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह रहें, बनानी है। ऐसा जब तक नही होगा जनता स्वराज्य का सच्चा अभिप्राय नहीं समझ पायेगी।

47

अंग्रेजों के समय से चले आ रहे राज्य सरकार के तीस हजार कानूनों को नष्ट कर आवश्यकतानुसार नये कानून बनाना

राज्य सरकारों ने भी पिछले पचास वर्षों में नए नए कानून बनाये

जिससे आम जनता पर जुल्म बढ़ते गये। अंग्रेजों के समय जैसे ही इन कानूनों ने लोगों को परेशान किया। स्वराज्य के बाद जितने कानून राज्य सरकारों ने बनाए हैं, उन्हें नष्ट करना जरूरी है। खासतौर पर अंग्रेजों के समय अमलदारों के हाथ में राज्य की बागडोर आ गयी तो इसका उन्होंने भरपूर दोहन किया और जनता को खूब परेशान किया। उनके दमन के लिए, वे सिर न उठा सकें इस प्रकार के अनेक कानून प्रत्येक राज्य ने बनाए जिससे जनता की आजादी बिल्कुल छिन गयी। जनता आज जो कुछ भी दुख भोगती है, उसका मुख्य कारण पचास वर्षो में बने नये–नये कानून हैं। उदाहरण के लिए वन विभाग का अधिकारी जिस तरह से जंगलराज चलाता है वह चरमसीमा पर है। सरकार द्वारा तैनात जंगल का अधिकारी अपनी तानाशाही चलाता है। आज वह अधि ाकारी चाहे जिस व्यक्ति को पकड़कर मार दे पर उसका कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसा भयानक अधिकार जंगल अधिकारी को मिला हुआ है। इसी तरह से राजस्व विभाग का अधिकारी मिल्कियत दस्तावेज के कालम 32 (क) के बहाने जनता के पास से अपनी मर्जी के अनुसार रिश्वत लेकर जनता को परेशान कर सकता है। कर विभाग का अधिकारी विभिन्न क्षेत्र के व्यापारियों व उद्योगपतियों से कल्पना के बाहर रकम ऐंठ सकता है और उन्हें परेशान कर सकता है। विद्युत विभाग का इंजीनियर किसी राजा से ज्यादा अधिकार रखता है। वह अपनी मर्जी के अनुसार झूठ को सच बनाकर मोटी रकम किसी भी उद्योग से ले सकता है। इस तरीके से प्रत्येक विभाग के अधिकारी खुल्लमखुल्ला रिश्वत लेते हैं और जनता को परेशान करते हैं। इस सबका मुख्य कारण यह है कि राज्यों की राजधानी में बैठे बड़े बड़े अधिकारियों ने जनता को दबाकर रखने के लिये अमानवीय कानून पिछले पचास वर्षों से बना रखे हैं, जिससे जनता असीमित दुख भोगती है। इसलिए इन तमाम कानूनों को नष्ट करना और नये कानून बनाना नितांत आवश्यक है। संविधान में ऐसा सुधार करना जरूरी है कि भारत सरकार या राज्य सरकार या जिला सरकार का कोई भी कानून जब तक ग्राम्य सभा को मान्य न हो लागू नहीं हो सकता। जब ऐसा होगा तब गांधीजी के कथनानुसार "संसदीय जुल्म" खत्म होगा और जनता आजादी से सांस ले सकेगी।

48

जो भी नया कानून बने वह भारतीय चित्त,

मानस व काल से मेल खाए अन्यथा नहीं,

वर्तमान में जो भी कानून हैं वे या तो अंग्रेजों के बनाए हुए हैं या अंग्रेजी व्यवस्था में से निकाले गये हैं, परंतु उनका एक ही ध्येय है कि जनता किसी भी तरह से अधिकारियों से दबी रहे। ये सभी कानून भारतीय चित्त, मानस व काल से मेल नहीं खाते। भारतीय जनता के चित्त, मानस से मेल खाते कानूनों में विवेक–बुद्धि का पर्याप्त स्थान होना चाहिए। नियमों की संरचना किसी भी व्यक्ति की विवेक–बुद्धि के अधीन होनी चाहिए, जिससे नियमों का गलत अर्थ न निकाला जा सके। नियमों की संरचना उसकी उत्पत्ति के कारणों से मेल खानी चाहिए। इसका अर्थ यह होता है कि जान माल की सलामती के लिए जो कानून बनते हैं, उसमें किसी भी प्रकार से गुनहगार को लाभ नहीं मिलना चाहिए। वर्तमान में ऐसा होता है कि भरे बाजार में हजारों लोगों के बीच कोई किसी का खून कर देता है और वह निर्दोष छूट जाता है। इसका मुख्य कारण है : कानूनों की पेचीदगी, नियमों का गलत अर्थ निकालना व विवेक–बुद्धि का अभाव। न्यायाधीश स्वयं के विवेक का उपयोग कर खूनी को मुजरिम साबित कर सके ऐसा होना चाहिए। वर्तमान की तकनीकी खामियों और वकीलों की झूठी दलीलों को न स्वीकार कर वे स्वविवेक से निर्णय लें। फिर भी ऐसे प्रत्येक कानूनों में नियमों के दुरुपयोग की गुंजाइश बनी रहती है। ऐसा दुरुपयोग हो तो संबंधित अधिकारी को सजा हो, ऐसा नियम हर कानून में होना चाहिए। नियमों का दुरुपयोग हुआ है यह अधिकारी तय न करे, बल्कि नियम जिस जनता के लिए बने हैं, वह तय करेगी। यदि ऐसा होता है तो नियमों का दुरुपयोग कर जनता को परेशान करना और उनसे रिश्वत लेना बंद हो जायेगा।

49.

कानून आधारित व्यवस्था के स्थान पर न्याय आधारित व्यवस्था बनाना.

वर्तमान में संविधान के अनुसार कानून का राज है और कानून प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान है। ऐसा हमें समझ में आता है। परंतु व्यवहार में संपूर्ण अंधकार है। कहीं भी सही न्याय नहीं मिलता। लुच्चे–लफंगे छूट जाते हैं और निर्दोष को दण्ड मिलता है। गुण्डा तत्व सर्वोच्च सत्ता में जा बैठते हैं और समस्त कानूनों का खुलेआम उल्लंघन करते हैं, परंतु उनका कुछ नहीं बिगड़ता है।

दूसरी ओर आम आदमी चूं भी न कर सके ऐसे अनेक प्रकार के बंधन उस पर हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि आज की व्यवस्था कानून आधारित है, न्याय आधारित नहीं। यह पूरी व्यवस्था न्याय आधारित बनी हो तो उसमें जागरूक जनता की भागीदारी प्रत्येक स्तर पर होनी जरूरी है। न्याय की सत्ता दिल्ली और राज्य की राजधानियों में ही नहीं बल्कि गाँव में और प्रत्येक शहरों में विकेन्द्रित होनी चाहिये। गाँव–गाँव में न्यायपंच रखने चाहिये और इन न्यायपंचों को न्याय करने का विवेकाधीन अधिकार होना चाहिए। ये न्याय पंच स्वयं के हृदय को योग्य लगे उस तरह का न्याय दे सकें ऐसा विशाल अधिकार न्याय पंच के पास होना चाहिए। ऐसा होगा तभी न्याय आधारित व्यवस्था बन सकेगी। कोई भी व्यक्ति चाहे जितना भी बुद्धिमान हो तो भी तमाम स्थितियों की कल्पना नही कर सकता। इसलिए लिखे हुए कानूनों के अनुसार ही न्याय देना, यह अंग्रेजों की पद्धति भारत में सटीक बैठे ऐसा जरूरी नहीं है। भारत में जो कोई अपराध हो उसके न्याय का पूर्वाभास कर न्याय पंच का हृदय जो कहे उस प्रकार सजा देने का अधिकार यदि हो तो अपराधी कभी छूट न सके और अपने धत्करम की पर्याप्त सजा पाए। ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए वर्तमान की कानून आधारित व्यवस्था में आमूल परिवर्तन आवश्यक है। साथ ही लोगों के विभिन्न वर्गों से निष्पक्ष, सच्चे व प्रामाणिक व्यक्ति न्याय पंच चुनकर आएं, ऐसी न्याय पद्धति विकसित करनी पड़ेगी।

संक्षेप में कहें तो तथाकथित वर्तमान वर्तमान व्यवस्था में कोरे कानूनी शब्दों का ही पालन होता है, इससे कोई मतलब नही कि न्याय होता है या नहीं या कानून के मुख्य उद्देश्य का ही उल्लंघन होता है या अपराधी बिना दण्ड पाये साफ छूट जाते हैं। ये सारी व्यवस्था अंग्रेजों ने हमारे ऊपर लाद दी है और पिछले पचास वर्षों में यह व्यवस्था कितने निम्न स्तर पर पहुंच गयी है, यह हम देख रहे हैं। कानूनों को तोड़ा–मरोड़ा जाता है, नियमों का गलत अर्थ निकाला जाता है और भ्रष्टाचारियों, खूनियों व अनेक गुनहगारों को सजा नहीं होती है। इसके बरक्स न्याय आधारित व्यवस्था का अर्थ यह होता है कि न्याय सच्चा होना चाहिए भले ही कानून झूठा हो जाए। न्याय देने वाला न्यायाधीश स्व–विवेक से न्याय देगा, नियम पढ़ने की आवश्यकता नही। समय को ध्यान में रखते हुए यदि न्यायाधीश को लगता है कि कोई गुनहागार है तो उसके लिये पड़ताल की आवश्यकता नहीं है। उसके हृदय को अनेक प्रकार के सबूत स्वयं मिल जाते हैं और इस तरह जो न्याय होगा वह सच्चा न्याय होगा। ऐसी न्याय व्यवस्था सदियों से अंग्रेजों के आगमन के पूर्व हमारे यहां होती थी व न्याय सच्चा होता

था और जनता सुखी थी।

50

प्रत्येक गांवों में ग्राम्य न्यायपंच, प्रत्येक जिले में जिला न्याय पंच तथा प्रत्येक राज्य में राज्य सभा व केंद्र में राष्ट्रीय न्याय सभा होगी। इस न्याय पंच व न्याय सभा में सदस्य चुने हुए होंगे परंतु वे किसी राजनीतिक पक्ष से जुड़े नहीं होंगे। और इन्हीं सदस्यों में से ही न्यायाधीश बनेंगे। हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट खत्म हो जायेगा।

सभी देशभक्तों से अपील

हमारे सभी के मन में राष्ट्रभक्ति की भावना है। इसलिये आज की दु:खद परिस्थिति को देखकर हम सभी का दिल जलता है। देश में आज जो आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और नैतिक पतन हुआ है, उसे देखकर किसी भी समझदार व्यक्ति को उन कारणों पर गुस्सा आना स्वाभाविक है, जिनके चलते यह सब हुआ है। हमें यह समझ में आता है कि भ्रष्ट नेताओं और भ्रष्ट नौकरशाही के गठजोड़ और विदेशी कम्पनियों की लूट के चलते ही आज हमारा देश भयंकर गरीबी, भुखमरी और गुलामी की स्थिति में पहुंच गया है। इसलिये हमें उदारीकरण की नीतियों भ्रष्ट नेताओं और भ्रष्ट नौकरशाही के विरूद्ध भी क्रोध आता है। लेकिन हमें एक बात स्पष्ट रूप से समझनी है, वह यह कि हमारा विरोध नौकरशाही से है, ना कि उसको चलाने वाले लोगों से। नौकरशाही एक बेजान तन्त्र है, जबकि नौकरशाह जो इसे चलाते हैं जीते–जागते लोग हैं, जिनके सीने में भी दिल धड़कता है। कई नौकरशाह ऐसे होंगे जो शायद हमसे बेहतर पूरे तन्त्र के बारे में जानते होंगे। कई नौकरशाह ऐसे भी होंगे जिनमें राष्ट्रभक्ति की उतनी ही भावना होगी जितनी हमारे में है। कई नौकरशाह ईमानदार भी होंगे। लेकिन शायद यह तन्त्र उन्हें मजबूर करता होगा भ्रष्टाचार करने के लिये। इसलिये नौकरशाहों से हमें घृणा नहीं करनी चाहिए, हमें नौकरशाही के तन्त्र को बदलने की बात करनी है, क्योंकि पूरे देश और समाज को बुरी हालत में लाने के लिये यह तन्त्र जिम्मेदार है।

इसी तरह देश के उद्योगपति और व्यापारी भी काफी राष्ट्रभक्त हैं। वे काफी मेहनती और कर्मठ भी हैं। कई उद्योगपति एवं व्यापारी देश के तमाम अच्छे कार्यों के लिये दान भी देते हैं। इन उद्योगपतियों और व्यापारियों के मन में भी गरीबों के प्रति सद्भावना जरूर होगी। कई उद्योगपति और व्यापारी बहुत ईमानदार भी हैं, जो किसी भी तरह की रिश्वत लेना–देना या भ्रष्टाचार करना पसंद नहीं करते होंगे। लेकिन भ्रष्ट नौकरशाही के कारण ही इन उद्योगपतियों और व्यापारियों को भ्रष्टाचार के रास्ते पर जाना पड़ता है। इसलिये हम उद्योगपतियों और व्यापारियों से भी घृणा नहीं कर सकते है।

इसी तरह देश के नेताओं के बारे में भी कहा जा सकता है। शायद यह कहना ठीक नहीं होगा कि देश की सभी राजनैतिक पार्टियों के सभी नेता भ्रष्ट

हैं और राष्ट्र द्रोही हैं। हो सकता है कि कुछ नेता ऐसे हों जो राष्ट्र भक्त, ईमानदार एवं कर्मठ हों और प्रजा का भला करने की सोचते हों। लेकिन वे भी क्या करें जब हमारा तन्त्र ही ऐसा है। शायद यह तन्त्र ही है जो इन्हें भ्रष्ट बनाता हो, गलत तरीके से पैसा कमाने के लिये प्रेरित करता हो या देश के साथ बेईमानी करना सिखाता हो। हमारे देश की वर्तमान चुनावी प्रक्रिया भी नेताओं को वोट और नोट का लालची बनाती है। यह भी हो सकता है कि हमारे देश के नेताओं को देश की समस्याओं के बारे में बहुत ही गहराई से ज्ञान नहीं हो और वर्तमान तन्त्र को कैसे चलाना है इसका पता ही नहीं हो। इसलिये वे दूसरों के कहे अनुसार समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करते रहते हैं। इन दूसरों में विदेशी लोग एवं संस्थायें भी शामिल हैं। एक और कारण यह नजर में आता है कि हमारे आज की पीढ़ी के नेता यूरोप–अमरीका के तन्त्र और चमक दमक से काफी प्रभावित हैं। इसलिये वे मानते हैं कि भारत का जो भी विकास करना है वह इसी विदेशी (यूरोपीय) तन्त्र के तहत हो सकता है। इसलिये आजादी के बाद आज तक हमारे देश में वही तन्त्र चलाया गया है, जिसे अंग्रेज छोड़कर गये थे। वास्तव में अंग्रेज तो हमारे ऊपर शासन करने के लिये और भारतीय संसाधनों की लूट करने के लिये आये थे। अंग्रेज हमारा विकास करने के लिये नहीं आये थे। अतः अंग्रेजों ने जो व्यवस्था–तंत्र भारत में बनाया उससे लोगों का और समाज का भला तो हो ही नहीं सकता। इसलिये हम सभी के सामने एक ही विकल्प है कि इस गुलामी के तन्त्र को बदलें और आज की परिस्थितियों और जरूरत के अनुसार भारतीयता से मेल खाता हुआ एक नया तन्त्र बनायें। आजादी बचाओ आन्दोलन इसी दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इसके लिये ही यह स्वराज्य की रूपरेखा आप सभी के सामने प्रस्तुत की गयी है। आप सभी देशभक्तों से अपील है कि आप इस योजना के बारे में अपने विचार (समर्थन में अथवा विरोध में) जरूर प्रेषित करें। ताकि हमें अपनी इस योजना की अच्छाइयों और कमियों के बारे में ज्ञान हो सके। आप अपने कुछ सुझाव भी जरूर भेजें जिससे हम इस योजना में उन्हें शामिल कर सकें।

आन्दोलन की विस्तृत जानकारी के लिये पढ़ें आन्दोलन द्वारा प्रकाशित साहित्य

1) सच्चे स्वराज की रूपरेखा
2) बहुराष्ट्रीय कंपनियों की ज़ंजीरों में जकड़ा दैनिक जीवन
3) बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मकड़जाल
4) दवा क्षेत्र और स्वदेशाभिमान
5) स्वदेशी चिकित्सा
6) स्वावलंबी खेती कैसे करें
7) भारत का स्वधर्म
8) अंग्रेजों के पहले का भारत
9) भारतीय चित्त, मानस और काल
10) Collected work of Dharampal
11) Despoliation and defaming of India by Dharampal
12) 18वीं सदी में भारतीय विज्ञान और तकनीकी (प्रकाशनाधीन)
13) 18वीं सदी में भारतीय शिक्षा (प्रकाशनाधीन)
14) स्वदेशी और भारतीयता

आजादी बचाओ आंदोलन की ऑडिओ कैसेट सूची

कैसेट नं. 1–2–3 : बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का इतिहास और वर्तमान
कैसेट नं. 4 – बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का झूठ
कैसेट नं. 5–6 : उदारीकरण और वैश्वीकरण से व्यापारी और उद्योगों के लिये ख़तरा
कैसेट नं. 7 मैकाले की शिक्षण पद्धति के परिणाम
कैसेट नं. 8 : एलिजाबेथ की भारत यात्रा और हमारी गुलामी मानसिकता
कैसेट नं. 9 : विदेशी कंपनियों और विज्ञापनों का समाज पर प्रभाव
कैसेट नं. 10 : अंग्रेजों की कानूनी व्यवस्था भारतीय अर्थव्यस्था और समाज के विकास में बाधक
कैसेट नं. 11–12 : भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण और निवारण
कैसेट नं. 13–14 : बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा पेटेंट और दवा उद्योग पर हमला
कैसेट नं. 15 : गौरक्षा आंदोलन और उसका महत्त्व
कैसेट नं. 16. भारतीय बीमा उद्योग ख़तरे में
कैसेट नं. 17–18 : सी.टी.बी.टी. और भारतीय अस्मिता
कैसेट नं. 19–20 : भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के कुछ उपाय
कैसेट नं. 21–22–23 : खेती और किसानों को गुलाम बनाने की साज़िश
कैसेट नं. 24–25 : प्रतिभा पलायन (ब्रेन ड्रेन)
कैसेट नं. 26–27 : स्वदेशी आंदोलन में गणेशोत्सव का महत्त्व
कैसेट नं. 28–29–30 : भारत पर विदेशी आक्रमण (कारगिल युद्ध)
स्वदेशी राग ही गाना (आंदोलन के गीतों की कैसेट)

स्वदेशी ही क्यों ?

स्वदेशी का अर्थ सिर्फ व्यापारिक या आर्थिक गतिविधियों से नहीं जुड़ा हुआ बल्कि वह हमारी संस्कृति, सभ्यता, मान्यताओं और निष्ठाओं से भी जुड़ा हुआ है। दरअसल, अर्थक्षेत्र तो हमारे जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है। बाकी तो सब कुछ संस्कृति और मान्यताओं से ही निर्दिष्ट होता है। इसलिये स्वदेशी एक सम्पूर्ण जीवन दर्शन है।

एक ऐसा जीवन दर्शन जो वृत्ताकार सामुद्रिक वलय के सिद्धान्त पर आधारित है। अर्थात सबसे पहले छोटी इकाई फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। अर्थात उत्तरोत्तर रूप से लघुता से वृहदता की ओर जाने से ही स्वदेशी का पालन होगा। पहले घर, फिर पडोस, फिर गांव, फिर नगर और फिर देश के रास्ते से ही स्वधर्म और स्वदेशी की स्थापना हो सकेगी।

आज देश की वर्तमान परिस्थितियों में जहाँ एक ओर राजनैतिक पटल पर आम आदमी और समाज को संचालित करनेवाले मनीषियों के मन में घोर निराशा छाई हुई है वहीं दूसरी ओर आर्थिक क्षेत्र में व्यापारियों तथा किसानों-मजदूरों (आम आदमी की भी) की समृद्धि के स्तर में गिरावट आई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिये केंद्रित इस अर्थव्यवस्था में पिछले पचास वर्षो के दौरान गरीबी के महासमुद्र में समृद्धि के कुछ टापू तो बन गये है लेकिन समृद्धि का समुद्र सूखता ही जा रहा है। विभिन्न स्त्रोतों से (विदेशी बैंकों में जमा होने वाले गैरकानूनी पैसे के रूप में, विदेशी कंपनियों द्वारा लूटकर ले जाये जा रहे मुनाफे के रूप में, ब्रेनड्रेन के रूप में तथा रुपये की गिरती कीमत के रूप में) देश का पैसा देश के बाहर जा रहा है।

ऐसी परिस्थितियों में जब देश की हालत को सुधारने का दंभ भरनेवाली सरकारें भी निकम्मी और नालायक हो गयीं हों तब हमें और आप सब को ही देश को फिर से खड़ा करने के लिये कमर कसनी होगी। हमें विश्वास है कि स्वदेशी संकल्पनाओं, स्वदेशी मेधा, स्वदेशी तकनीक, स्वदेशी संसाधन के आधार पर हम देश को फिर से खड़ा कर सकते है।

आईये, देश के नवनिर्माण के लिये चल रहे इस आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

स्वराज प्रकाशन समूह